

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2022—भाद्र 18, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

एफ 11-146-2019-सूअप्र-एक-9-699.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 10 से 14 अगस्त, 2022 तक, भोपाल से पुणे (महाराष्ट्र) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2022 की प्रथम एल. टी. सी. अथवा दिनांक 11, 13 एवं 14 अगस्त, 2022 को शासकीय अवकाश व दिनांक 10 एवं 12 अगस्त 2022 दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. एवं एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य “दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण” का तीसरी बार लाभ लिये जाने की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022

पंजी. क्र. 2852-इक्कीस-ब-(दो)2022.—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी) 4281-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, अशोकनगर में अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री ओम प्रकाश दुबे, अधिवक्ता की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, अति. सचिव.

भोपाल, दिनांक 28/29 अगस्त 2022

फा. क्र. 3046-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2021 के शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की

धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री मधुर शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 9 अगस्त, 2022 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव।

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

क्र. एफ 10-07-2022-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत चयनित होमस्टे स्थापना के लिए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत चयनित ग्राम/स्थल में होमस्टे पर हितग्राही को निम्नानुसार अनुदान देय होगा :—

- (1) नवीन होमस्टे-अधिकतम 02 कक्षों के निर्माण की कुल स्थापना लागत का 40 प्रतिशत अथवा कुल राशि रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र) जो भी कम हो, देय होगा।
- (2) उन्नयन हेतु-अधिकतम 02 कक्षों के उन्नयन की कुल लागत का 40 प्रतिशत अथवा कुल राशि रुपये 1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र) जो भी कम हो, देय होगा।
- (3) किसी भी हितग्राही को योजनान्तर्गत उपरोक्त किसी भी संयोजन से अधिकतम रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र) की ही पात्रता होगी।

2. अनुदान दो किस्तों में देय होगा।

3. 594 होमस्टे की स्थापना हेतु राज्य बजट से वर्षवार अनुमानित व्यय की निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है :—

वर्ष	नवीन आवासों का लक्ष्य	उन्नयन आवासों का लक्ष्य	कुल प्रस्तावित अनुदान राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ष 2022-23	200	30	4.36
वर्ष 2023-24	324	40	6.96
कुल योग :	524	70	11.32

4. ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत स्थापित होमस्टे को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित चारों योजनाओं (मध्यप्रदेश ग्राम स्टे योजना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019/मध्यप्रदेश फार्म स्टे योजना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019/ मध्यप्रदेश बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019/मध्यप्रदेश होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018) में से नियमानुसार संबंधित योजना में पंजीयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 30, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के संदर्भ में जारी किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव।

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2022

क्र. एफ-11-05-2021-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-05-2021-तीस, दिनांक 10 जून 2021 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	विदिशा	गंजबासौदा	उदयपुर	प्राचीन महल (गढ़ी)	0.795	0.795	सर्वे क्रमांक 822, शासकीय आबादी भूमि (राजस्व विभाग म. प्र. शासन).	नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2022

सूचना

क्र. एफ-3-84/2021/18-5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1206/वि.यो./नग्रानि/2019, भोपाल दिनांक 28/02/2020 द्वारा प्रकाशित सागर विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सागर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- 1 आयुक्त सागर, संभाग सागर
- 2 कलेक्टर सागर, जिला सागर
- 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर म.प्र.
- 4 आयुक्त नगर पालिक निगम, सागर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय-4

4.5.2 - आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टे.
2. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिषत
3. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिषत
4. सुविधाजनक दुकानें हेतु अधिकतम 5 प्रतिषत
5. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-2 अनुसार होंगे।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु प्रावधान म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961/म.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप

आवासीय भूखण्डीय विकास नियमन

4-सा-2

क	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	भू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम उँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0X12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0X15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0X15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	106-135	अर्धपृथक्कृत	50	1.20	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	136-200	अर्धपृथक्कृत	50	1.20	3.00	2.0	0.0	0.0	9.0	12.5	3
7	12.0X18.0	201-216	अर्धपृथक्कृत	42	1.20	3.5	0.0	0.0	0.5	9.0	12.5	3
8	12.0X24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.15	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	288-360	पृथक्कृत	33	1.15	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	6
10	15.0X27.0	361-405	पृथक्कृत	35	1.15	7.5	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	7
11	18.0X30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.15	8.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	8
12	20X30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.15	9.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	9
13	25X30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.15	12.00	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10
14	30X30.0	751-999	पृथक्कृत	30	1.15	12.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	10

नोट :

1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय ईकाइयाँ मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय ईकाइयों की संख्या मान्य होगी।
2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

अध्याय-4

4.5.2 - आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.5 प्रतिशत
2. आवासीय प्रयोजन के स्वीकृत अभिन्यास के भूखण्डों पर भवन निर्माण संबंधी नियोजन मापदण्ड सारणी क्रमांक 4-सा-2 अनुसार होंगे।

आवासीय भूखण्डीय विकास नियमन

4-सा-2

कं	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मीटर) न्यूनतम	विकास का प्रकार	मू-आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में	एफ.ए. आर. अधिकतम	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी. में)	अधिकतम उँचाई (मी. में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयाँ
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4.0X8.0	20-32	पंक्ति	60	1.25	3.00	0.0	0.0	0.0	6	9	2
2	4.0X12.0	33-48	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
3	5.0X15.0	49-75	पंक्ति	60	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	6	9	2
4	7.0X15.0	76-105	पंक्ति	50	1.25	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9	2
5	9.0X15.0	106-135	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	136-200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	201-216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	217-288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4

9	12.0X24.0	289-360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	361-405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	406-540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20X30.0	541-600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25X30.0	601-750	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30X30.0	751-999	पृथक्कृत	30	1.25	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट :

1. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष यदि 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् क्रियान्वित किये जाने वाले इस विकास में आवश्यक सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रावधानित हो तो ऐसे भूखण्डों पर बहु आवासीय ईकाईयाँ मान्य होगी अन्यथा केवल 4 आवासीय ईकाईयों की संख्या मान्य होगी।
2. यदि आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊंचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, क्रमशः भवन ऊंचाई तथा एफ.ए.आर. से नहीं की जाएगी।

2. अध्याय-4

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-13

नु. 5.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साइड्स		
60	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फ्रण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=1, 5 प्रतिशत

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

अध्याय-4

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

4-सा-13

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ. ए. आर.	उंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में)			न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र (A)	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फण्टेज (मीटर में)
							सामने	पीछे	साईड्स		
30	भूखण्डीय विकास	कोई नहीं	6.00	30-60 एकल भूखण्ड पर	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100	(1)फण्टेज= ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र=10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र=1.5 प्रतिशत

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 30 अगस्त 2022

क्र. 33-2020-21-30-पन्द्रह-181.—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 167 एवं धारा 5(3) के अधधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित अधिकारी एवं कालम (3) में उल्लेखित पदनाम के अधिकारी को कालम (4) में उल्लेखित क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के तहत लंबित एवं उद्भूत होने वाली कार्यवाहियों को पूर्ण करने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	संपादित किये जाने योग्य कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती याचना पाठक	राज्य कर उपायुक्त, कार्यालय, संभागीय उपायुक्त, राज्य कर, भोपाल संभाग-01.	राज्य कर उपायुक्त, सागर संभाग की नस्ती से संबंधित मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के तहत लंबित एवं उद्भूत होने वाले स्कूटनी, कर निर्धारण एवं अन्य समस्त प्रकरणों में कार्यवाहियाँ.

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 18 अगस्त 2022

संशोधित आदेश

क्र. 6401-व.लि.1-2022.—सामान्य पुस्तक परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना एफ 3-2-1999-1, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2022 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 8453-वलि-1-2021, दिनांक 27 दिसम्बर 2021 में आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्रमांक (1)	जिला (2)	पर्व अथवा त्यौहार (3)	दिनांक (4)	दिन (5)	विवरण (6)
1	झाबुआ सम्पूर्ण जिला	शीतला सप्तमी	24-03-2022	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
2		गणेश चतुर्थी	31-08-2022 (संशोधित)	बुधवार	''-
3		दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	25-10-2022	मंगलवार	''-

टीप.—

- (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय/उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
- (2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेंगी.

सोमेश मिश्रा, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 जुलाई 2022

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1) पन्ना	(2) शाहनगर	(3) मझगवां	(4) निजी भूमि पर स्थित 43 मकानों के अर्जन (क्षेत्रफल 2031.76 वर्ग मी.) का एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 है. कुल 43 मकानों (क्षेत्रफल 2031.76 वर्ग मी.)	(5) कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पवई.	(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले रिहायसी 43 मकानों के अर्जन कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 अगस्त 2022

प्र. क्र. 01-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)" की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1) छतरपुर	(2) घुवारा	(3) रैपुराकला	(4) 109.710	(5) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	(6) काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	झिंगरी	5.412	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	विनेदा	130.300	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	धनगुवां	307.910	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	सिरवो	7.130	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा (11) की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (है. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बड़ामलहरा	पिपरियाकलां	251.950	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा.	काठन बांध वृहद परियोजना.

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 5 अगस्त 2022

क्र. 343-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट

- (ग) ग्राम—सांडा
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—सांडा
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.055 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29	0.02	विनय कुमार सिंह पिता गोहुल सिंह बाघेल	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	166	0.035	श्यामसुन्दर पिता रामसखा पटेल 1/6, हीरालाल पिता रामसखा पटेल 1/6, हरिप्रसाद पिता रामसखा पटेल 1/6, लल्लूभैया पिता रामसखा पटेल 1/6, श्यामवती बेवा लालमणि पटेल 1/18, प्रदीप पिता लालमणि पटेल 1/18, अनिल पिता लालमणि पटेल 1/18, सकुन्तला बेवा राजभान पटेल 1/12, विजय पिता राजभान पटेल 1/12.	

निजी भूमि का योग 0.055

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 345-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—बड़खरा 735
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—बड़खरा 740
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.300 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	328/2	0.300	राजेन्द्र बहादुर पिता जगतबहादुर सिंह	रेल परियोजना निर्माण हेतु

निजी भूमि का योग 0.300

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 347-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—चुरहट
 (ग) ग्राम—पड़खुरी
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—16-पड़खुरी
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.068 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3340	0.002	यज्ञभान पिता मटुकधारी जाति पटेल	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	3377	0.004	अनिल कुमार, वीरेन्द्र कुमार पिता प्रेमलाल जाति कुर्मी	
3	3437	0.060	गोपीनाथ, पारसनाथ, मुर्ति प्रसाद पिता राधे 1/2, दयाशरण पिता सुखनन्दन, प्रदीप पिता प्रह्लाद, देवराज पटेल पिता भागीरथी, भोला, तेजभान पिता मनबोधी जाति कुर्मी 1/2.	
4	3441	0.002	हीरालाल, दशोमति, दिलीप कुमार, मनुखलाल, राजीव कुमार पिता त्रिलोक पटेल.	
निजी भूमि का योग		<u>0.068</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 349-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—कुड़िया कोठार
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—कुड़िया पवाई
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.004 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	430	0.004	सुरेश प्रसाद पिता अनुसुइया प्रसाद	रेल परियोजना निर्माण हेतु
निजी भूमि का योग		<u>0.004</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 351-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—भेलकी 822
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—भेलकी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.044 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	478	0.006	कृष्णकान्त पिता ठाकुर प्रसाद	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	550/2	0.038	बृजेन्द्र प्रसाद पिता विभीषण प्रसाद	
निजी भूमि का योग :		<u>0.044</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 353-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—रायखोर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर—0023 रामपुर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.540 हेक्टेयर.

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	33/1/1	0.297	पंकज कुमार पिता रामाधार राम ब्रा.	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	33/1/2	0.235	सनत कुमार पिता रामाधार राम	
3	92/1	0.003	मु. मनगिरिया बेवा शिवदास साहू, छोटे बुद्धसेन पिता शिवदास साहू.	
4	245/2	0.005	रामायण प्रसाद पिता विशेषराम 1/2, मु. बेवा रामजी, मु. बेवा अनुसुईया बेवा रामाश्रय, प्रदीप कुमार, प्रकाश कुमार पिता रामाश्रय उपेन्द्र पिता पंचूराम.	
निजी भूमि का योग :		<u>0.540</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्हमान खान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अगस्त 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.अ-82-22-23-पत्र क्र. 463-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बेरमा	7.8857	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ-82-22-23-पत्र क्र. 464-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	खेरवाकला	7.0855	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-465-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) इटहरा	(4) 10.8776	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नगर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 अगस्त 2022

नस्ती क्र. 11-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र.-0004-अ-82-2022-23.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र.-Dy.CE-C-AK-KNW-AMX-LA दिनांक 9-5-2022 प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई पटवारी हल्का नं. 94 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 12.993 हे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, तन्वी सुंदरियाल, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014-के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1) 1	(2) खण्डवा	(3) खण्डवा	(4) 94	(5) बमनगांव आखई	(6) 12.993	(7) अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में देखा जा सकता है.

नस्ती क्र. 11-एल.ए.-2022-भू-अर्जन प्र. क्र.-0004-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खण्डवा	खण्डवा	बमनगांव आखई	12.993	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 29 अगस्त 2022

क्र. 3628-प्र. क्र.-0003-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीन सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
नर्मदापुरम	इटारसी	रैसलपुर	1.035	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.	पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता.—पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाइन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम रैसलपुर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4750-जि.भू.अ.-2022

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2022

प्रारूप 5
(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :- गरठिया ब.नं.-127 प.ह.नं.-32
2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मै.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी का परिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	107/5/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अनुराग साहू पिता उदयसाहू जाति तेली पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सुनीलकुमार पिता सुगमचंद बगौरा	कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	अनुराग साहू पिता उदय साहू	म.प्र शासन (रास्ता)	-	-	-	-
2	107/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुनीलकुमार पिता सुगमचंद, ओमवतीबाई पत्नी सुगमचंद जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अनिलकुमार पिता सुगमचंद	रमाकांत पुत्र मधुराप्रसाद, बगौरा जाति ब्राह्मण भूमिस्वामी	कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	म.प्र शासन (रास्ता)	-	-	-	-

3	105	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, श्रीकांत पुत्र मथराप्रसाद, श्यामाबाई पुत्री मथराप्रसाद रामाबाई पुत्री मथराप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सिवनीम.प्र. भूमिस्वामी	गलीराम, बगैरा पिता गुलाबसिंह, भूमिस्वामी,	कौडीलाल बगैरा पिता गलझरिया	म.प्र शासन (रास्ता)	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
4	55	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	गलीराम, होरीलाल, बुद्धीलाल, खेमकरन पिता गुलाबसिंह, नुखिया पत्नि नारायण बुढवानी, रामकली पत्नि पुन्नू भूमिस्वामी, दुल्लू नि. लखनादौन केता पत्नि नरेश नागपुर जाति धोबी भूमिस्वामी	मूस्त पिता पंचमलाल भूमिस्वामी	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, बगैरा भूमिस्वामी	म.प्र शासन (रास्ता)	सम्पत पुत्र दुलीचंद जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	-	-	-	-
5	56/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सम्पत पुत्र दुलीचंद जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सम्पत पुत्र दुलीचंद जाति गौंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रमाकांत पुत्र मथराप्रसाद, बगैरा जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	गलीराम, बगैरा पिता गुलाबसिंह, नुखिया पत्नि नारायण बुढवानी, रामकली पत्नि पुन्नू भूमिस्वामी,	म.प्र शासन(चारगाह)	-	-	-	-
6	59/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	अशोक पिता भुवनलाल नंदकिशोर पिता भुवनलाल पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नर्मदा पत्नि राखोराम, रविन्द्र बगैरा पिता राखोराम भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारगाह)	म.प्र शासन (चारगाह)	गंगिया पत्नि छत्ते भूमिस्वामी	-	-	-	-
7	58	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गंगिया पत्नी छत्ते जाति नाई पता गरठिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	मधुरसिंह पिता हरिसिंह भूमिस्वामी	दयाराम पुत्र छत्ते भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल	दयाराम पुत्र छत्ते भूमिस्वामी	-	-	-	-

8	59/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	दयाराम पुत्र छत्ते जाति नाई सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	गंगिया पत्नि छत्ते भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	-	-	-	-
9	71	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	शान्तीबाई पत्नी मानसिंह जाति नाई सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	श्यामसिंह बगैरा पिता मानसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
10	70/2 70/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	लच्छोबाई पत्नी मनसुख, शिवसिंह, शिवराज, नंदकिशोर, शिवप्रसाद पिता मनसुख, चन्द्रकलीबाई पुत्री मनसुख, अनिता पत्नी सुरेश, प्रतीक, विनायक पिता सुरेश जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	शिवराजसिंह पिता मनसुखलाल भूमिस्वामी	श्यामसिंह बगैरा पिता मानसिंह भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	-	-	-	-
11	61	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मघरसिंह पुत्र हरिसिंह पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नर्मदा पत्नि राखोराम, रविन्द्र बगैरा पिता राखोराम भूमिस्वामी	दयाराम पुत्र छत्ते भूमिस्वामी	अशोक नंदकिशोर पिता भुवनलाल भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारागाह)	-	-	-	-
योग				0.77						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4751-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

1- ग्राम का नाम :-चांवड़ी ब.नं:-167 प.ह.नं:-128
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.16 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति परिया
1	40	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	दुर्गाप्रसाद पिता पचकौड़ी लाल बेलवंशी कतिया सा0 पिंडरई भूमिस्वामी	भूमि हरिसिंह की	रविन्द्रकुमार की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	ग्राम पिंडरई शरहद	-	-	-	-
2	39	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	राजेन्द्र ना.बा. पिता दुर्गाप्रसाद बली दादा भरतलाल वन्द महगू जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	दुर्गाप्रसाद की भूमि	रविन्द्रकुमार की भूमि	शासकीय नाला	दुर्गाप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
योग	2			0.16									

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4752-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

1- ग्राम का नाम :-खैरीकला ब.नं.-123 प.ह.नं.-16

2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.07 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्लिथ का एरिया
1	121	भूमिस्वामी	0.07	लालसिंह पिता खुमानसिंह जाति बागरी पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमला पति स्व. खुमानसिंह भूमिस्वामी	सुन्दरलाल पिता भूपसिंग भूमिस्वामी	अदित्य, अनुज पिता अमरसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	1		0.07									

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4756-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

1- ग्राम का नाम :-कारीरात ब.नं:-59 प.ह.नं.-125
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.05 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	257	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	महेश पुत्र धनाराम, शंकर लाल पुत्र धनाराम, रमेश पुत्र धनाराम जाति किरार, दुलारीबाई पुत्री धनाराम जाति किरार प्रेमाबाई पुत्री धनाराम, दशोदाबाई पुत्री धनाराम जाति किरार पता सिवनी भूमिस्वामी,	राजकुमार की भूमि	रेलवे लाईन	शासकीय रास्ता	उत्तमसिंह की भूमि	-	-	-	-
योग	01			0.05									

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4806-जि.भू.अ.-2022

सिवनी, दिनांक 24 अगस्त 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम टोलापिपरिया ब.नं.-234 प.ह.नं.-30
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.04 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	गलझर पुत्र नरसिंह जाति बागरी पता निवासी ग्राम सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	शासकीय भूमि	म.प्र.शासन (रास्ता)	धरमचंद पुत्र नरसिंह जाति बागरी भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	1			0.04									

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4808-जि.मू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :- सरूटोला ब.नं.-143 प.ह.नं.-28
 2- रा.नि.सं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.40 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्विंट क्षेत्रफल(हे.से.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति क्रिस्म	संख्या	प्रकार	विशेष का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	जयदीपसिंह बेस पिता रामकृपालसिंह पता गोरखपुरकला सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नवलसिंह पिता शिवचरण	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	नरबदिया पति फुलसिंह	-	-	-	-
2	23	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	नरबदिया पत्नी फुलसिंह जाति गौड, शिवकुमार पिता फुलसिंह जाति गौड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नवलसिंह पिता शिवचरण	म.प्र.शासन (घांस)	रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह	परसादी उर्फ परसराम पिता कुटुंब	-	-	-	-
3	21	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सावित्री ध.प. मन्थुलाल सुखवती ध.प. महेश जाति गौड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घांस)	रामनाथ पिता धनाराम बौरा	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी	विपलाल पिता बुडन	-	-	-	-
4	29	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	विशालकुमार पिता प्रफुल्लकुमार कोठारी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घांस)	खुरसीराम पिता बीरवल	ग्राम गोरखपुर कला सरहद	रामकपालसिंह पिता रामजतनसिंह	-	-	-	-
योग	4			0.40									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4809-जि.मू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

1- ग्राम का नाम :- चोरगरठिया ब.नं.-179 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	88/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	सूरजबाई बेवा प्रीतमसिंह जाति बागरी पता चोरगरठिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नैनसिंह की भूमि	म.प्र. शासन नाला	जमनाबाई की भूमि	रामसिंह की भूमि	-	-	-	-
2	85/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	रामसिंह पुत्र कपूरचन्द बागरी पता सा.देह भूमिस्वामी	सुजजनसिंह की भूमि	म.प्र. शासन नाला	सूरजबाई की भूमि	मंगलीबाई की भूमि	-	-	-	-
3	85/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	मंगलीबाई ध.प.स्व. अशोक कुमार संतोषी बा. सपना अंगूरी सुधा उर्फ दिव्या शिखा ना.बा. पिता अशोक कुमार पा.मा. मंगलीबाई ध. प. स्व.अशोककुमार बागरी जाति बागरी पता सा.देह भूमिस्वामी	सुजजनसिंह की भूमि	देवेन्द्रकुमार की भूमि	शामसिंह की भूमि	मुन्ना की भूमि	-	-	-	-
4	69/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	यशराजसिंह पिता भोपालसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन नाला	नीलम की भूमि	म.प्र. शासन रास्ता	म.प्र. शासन नाला				

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4810-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

1- ग्राम का नाम :-जमुनिया ब.नं.-196 प.ह.नं.-118
 2- रा.नि.भं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.27 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टे. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	55/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अंतराम संतराम पिता बाबूलाल जाति अहीर पता जमुनिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अंतरामकी भूमि	नान्होप्रसाद की भूमि	सर्वसबाई की भूमि	संतराम की भूमि	-	-	-	-
2	55/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	अंतराम पिता बाबूलाल जाति अहीर पता जमुनिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	अंतराम की भूमि	बुखीलाल की भूमि	संतराम की भूमि	-	-	-	-
3	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	मु. सर्वसबाई पत्नी शेरसिंह जाति बागरी पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	राममुन्नी की भूमि	चैनकली की भूमि	गंभीरसिंह की भूमि	अंतराम की भूमि				
4	52/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	राममुन्नी पत्नी सीताराम जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अंतराम की भूमि	सर्वसबाई की भूमि	गंभीरसिंह की भूमि	विनोद की भूमि				
5	54/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	विनोद पिता गंगाराम जाति कुर्मी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अंतराम की भूमि	अंतराम की भूमि	राममुन्नी की भूमि	विनोद की भूमि				

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4811-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :- गोरखपुरकला ब.नं.:-143 प.ह.नं.-28
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.47 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	लिंब का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	191	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	प्रदीपसिंह बैस पिता रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (पहाड)	गुमनियाबाई पति सुखराम	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह	म.प्र.शासन (घांस)	-	-	-	-
2	195	भूमिस्वामी	अकृषि	0.01	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (पहाड)	रूपमाबाई पति बलधारी	म.प्र.शासन (पहाड)	प्रदीप पिता रामकृपालसिंह	-	-	-	-

3	199	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू जाति गोंड, रामबती, रेखसिंह, पिता झाड़ूलाल, जाति गोंड, शशीबाई बेवा स्व. रामभाहू, श्यामबती, श्यामलाल पिता झाड़ूलाल जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भजनलाल पिता मूलचंद बगैरा	बदामी पिता पिल्लू	छदामी पिता पिल्लू	म.प्र.शासन (पहाड)	-	-	-	-
4	207	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भजनलाल पिता मूलचंद	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	चमरू पिता करना	छदामी पिता पिल्लू	-	-	-	-
5	206	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	चमरू पिता करना जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (घांस)	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	म.प्र.शासन (घांस)	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह	-	-	-	-
6	216	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	चमरू पिता करना जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (कच्चा रास्ता)	राजश्री पति जयदीपसिंह बैस	प्रदीप, जयदीपसिंह बैस पिता रामकृपालसिंह	गुमानियाबाई पति सुखराम	-	-	-	-
7	198	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	करनसिंह पिता पिल्लू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, प्रानोबाई बेवा स्व. पिल्लू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कागज, राजा, हंसा रामभाहू	म.प्र.शासन (घांस)	करनसिंह पिता पिल्लू प्रानोबाई बेवा स्व. पिल्लू	म.प्र.शासन (पहाड)	-	-	-	-
8	208	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	छदामी पिता पिल्लू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भजनलाल पिता मूलचंद बगैरा	छदामी पिता पिल्लू भूमिस्वामी	छुट्टूसिंह पिता तखतसिंह	कागज, राजा, हंसा पिता रामभाहू	-	-	-	-
योग	8			0.47						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4813-भू-अर्जन-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-

अनुसूची

- 1 - परियोजना का नाम - खामखरेली जलाशय परियोजना
 2 - भूमि का विवरण :-
 (क) जिला - सिवनी
 (ख) तहसील - सिवनी
 (ग) नगर/ग्राम - सोनाडोंगरी प.ह.नं. :- 37 रा.नि.मं. :- बंडोल
 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.08 हेक्टेयर

स. क.	सर्वेक्षण क्रमांक	ह. स्वामित्व प्रकार	ह. भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (हे० मी०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	407/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	दिनेश पि. गप्पू जाति बागरी नि.ग्रा भूमिस्वामी	इन्द्रा बाई ध.प.स्व. वदुआ बगैरह की भूमि ख.नं. 406	दिनेश पि. गप्पू की शेष भूमि	दिनेश पि. गप्पू की शेष भूमि	संतोष कुमार पिता गप्पू की भूमि ख.नं. 407/2	-	-	-	-
योग	1			0.08									

- 3 सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खामखरेली जलाशय परियोजना
 4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
 5 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4814-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :-गोरखपुरखुर्द ब.नं:-144 प.ह.नं.-38
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.22 हेक्टेयर

स.क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल (हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	चमरीबाई पत्नी लेखराम जाति गोंड पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारगाह)	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड	ग्राम नारायणगंज सरहद	-	-	-	-
2	10/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	चमरीबाई पत्नी लेखराम जाति गोंड पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारगाह)	संतोषकुमार पिता पीतम बगौर	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड	-	-	-	-

3	10/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	चमरीबाई पत्नि लेखराम	बलीराम पुत्र भादू जाति गोंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गोंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
4	10/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बलीराम पुत्र भादू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	धनीराम पुत्र भादू जाति गोंड	मनीराम पिता भादू जाति गोंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गोंड	मनीराम पिता भादू जाति गोंड	-	-	-	-
5	9/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (बारागाह)	लेखराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	म.प्र.शासन (बारागाह)	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
6	9/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	लेखराम पुत्र बिसराम जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	लोचीराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	चमरीबाई पत्नि लेखराम जाति गोंड	-	-	-	-
7	9/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	लोचीराम पुत्र बिसराम जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	बिसराम पुत्र नवली जाति गोंड	प्रेमचंद तुलमसी जाति गोंड	लेखराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	-	-	-	-
8	8	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	प्रेमचंद पुत्र तुलमसी जाति गोंड पता सिवनी म.प्र.भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (बारागाह)	धधरोबाई पति माहू कुटुंबकी पिता माहू	रूपेशकुमार पुत्र बंशीराम जाति कलार	लोचीराम पुत्र बिसराम जाति गोंड	-	-	-	-
9	7/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	रूपेशकुमार पुत्र बंशीलाल जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (बारागाह)	धधरोबाई पति माहू कुटुंबकी पिता माहू	कामलाप्रसाद पुत्र बंशीलाल जाति कलार	प्रेमचंद पुत्र तुलमसी जाति गोंड	-	-	-	-

10	7/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कामताप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (चारगाह)	संतोषकुमार पिता पीतम बगैरा	राधाबाई पति कुंवरसिंह जाति कलार	रूपेशकुमार पुत्र वंशीराम जाति कलार	-	-	-	-
11	6/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	सतीशकुमार पुत्र कुंवरसिंह जाति कलार पता गोरखपुरखुर्द सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह	राधाबाई पति कुंवरसिंह	म.प्र.शासन (चारगाह)	कामताप्रसाद पुत्र वंशीलाल जाति कलार	-	-	-	-
12	6/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार	सतीशकुमार पुत्र कुंवरसिंह	म.प्र.शासन (चारगाह)	म.प्र.शासन (चारगाह)	-	-	-	-
13	5/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अजेलाल बगैरा शासकीय सस्थान	कुंवरसिंह पुत्र बीरनसिंह जाति कलार	म.प्र.शासन (चारगाह)	म.प्र.शासन (चारगाह)	-	-	-	-
योग	13			1.22						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4864-जि.भू.अ.-2022

सिवनी, दिनांक 25 अगस्त 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम/2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :- लखनवाड़ा ब.नं.-532 प.ह.नं.-114
 2- रा.नि.मं. :- सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.15 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिय
1	443/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	साधना ध.प.र.व. संतोषकुमार सोनल मोनल पिता संतोष बरई निवासी ग्राम भूमि रवामी	बैनबाई की भूमि	बालमुकुंद की भूमि	विनीता बगौ की भूमि	छोटेलाल की भूमि	-	-	-	-
2	396	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	बैनबाई पत्नि स्व. सुमरनसिंह राकेश राजेश संतोष संजीव पिता सुमरनसिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	साधना की भूमि	मोहनसिंह की भूमि	मोहनसिंह की भूमि	-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4865-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :-तिघरा ब.नं.:-258 प.ह.नं.-101
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-2 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.15 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति कि.मि.	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	162/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण पता सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	ओमनारायण पिता नंदराम बौरा भूमिस्वामी	मेहताप झाड़ू काछी भूमिस्वामी	विनोदकुमार पिता रघुनाथसिंह भूमिस्वामी	-	-	-	-
2	162/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन (रास्ता)	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	संध्या पति सनतकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	संगीता पत्नि अजयकुमार जाति ब्राम्हण भूमिस्वामी	-	-	-	-
योग	2			0.15									

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4866-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम/2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :-पिंडरई ब.नं.:-365 प.ह.नं.-126
 2- रा.नि.मं. :-सिवनी भाग-1 तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.70 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएँ				वृक्ष		संरचनाएँ	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	38/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.32	कमलेश अखलेश अनिता सुनीता पिता मिठ्ठनलाल ओमवाई पति स्व.मिठ्ठनलाल जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	दयाल पिता मोतीलाल	विसनू पुत्र घुडन कतिया	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राह्मण	सुनीलकुमार पिता परसराम	-	-	-	-
2	49/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	विसनू पुत्र घुडन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कमलेश बर्गारा भूमि	राजाराम पिता हिल्लनसिंह	गणू पिता पंचकौडी बागरी	शासकीय नहर	-	-	-	-

3	37	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	जीरा मीरा बगैरा	बिसनू पुत्र घूडन कतिया	कमलेश पिता मिठठनलाल	कमलेश बगैरा की भूमि				
4	35/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कमलेश पिता मिठठनलाल अखलेश पिता मिठठनलाल जाति कतिया पता ग्राम पिंडरई भूमिस्वामी	लल्लू पुत्र परसराम	किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	कमलेश पिता मिठठनलाल	जीरा मीरा बगैरा पिता मंकरसिंह				
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	कमलेश पिता मिठठनलाल	कमलेश पिता मिठठनलाल					
	0.03			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	कमलेश पिता मिठठनलाल					
5	35/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	दयाल पिता मोतीलाल पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सुभाषसिंह शिवनाथसिंह	किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	कमलेश पिता मिठठनलाल				
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	दयाल पिता मोतीलाल	दयाल पिता मोतीलाल					
	0.05			सुभाषसिंह शिवनाथसिंह		किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह	म.प्र.शासन नाला	दयाल पिता मोतीलाल					
6	51	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	किशोरकुमार पिता गुलाबसिंह जाति कुरमी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	कमलेश पिता मिठठनलाल	निरपतसिंह पिता डिल्लीसिंह	म.प्र.शासन नाला	विष्णु पुत्र घूडन कतिया				
7	52/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	निरपतसिंह पिता डिल्लीसिंह जाति बागरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किशोरकुमार की भूमि	जीरा मीरा बगैरा पिता मंकरसिंह	म.प्र.शासन नाला	गणू पिता पचकौडी बागरी				
8	150/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	मोहन पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त	म.प्र.शासन रास्ता				
9	150/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मोहन पिता दामोदरराव ब्राम्हण	लीलाबती घ.प. मधुकरराव ब्राम्हण	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त	म.प्र.शासन रास्ता				

10	149/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	सागर पिता नरेंद्र कुमार जाति कायस्त पता निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	विष्णु पुत्र घूडन कतिया	सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार कायस्त	अनिल पिता दामोदर राव जाति ब्राह्मण	-	-	-	-
11	149/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुयोगिता पिता नरेंद्र कुमार कायस्त निवासी सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	विष्णु पुत्र घूडन कतिया	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राह्मण	सागर पिता नरेंद्र कुमार	-	-	-	-
12	148/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमलेश अखिलेश पिता मिठठनलाल	उर्मिला पति रामकृपाल जाति ब्राह्मण	सुयोगिता पिता कुमार	-	-	-	-
13	148/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	उर्मिला पति रामकृपाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	कमलेश अखिलेश पिता मिठठनलाल	रामकृष्ण पिता रामाधार ब्राह्मण	शशिकांत पिता श्रीकृष्ण ब्राह्मण	-	-	-	-
योग				1.70						-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4867-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम/2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

परियोजना का नाम - पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :- बिहिरया ब.नं:- 417 प.ह.नं.-38
 2- रा.नि.सं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.28 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	229	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजाराम पुत्र मानसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिरवामी	रामप्रसाद की भूमि	राजेन्द्र की भूमि	म.प्र. शासन नाला	श्रामप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
2	228/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	राजेन्द्र, विजेन्द्र पुत्र रामनाथसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिरवामी	जनरलसिंह की भूमि	म.प्र. शासन नाला	राजाराम की भूमि	रामनाथसिंह की भूमि	-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4868-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :—नारायणगंज ब.नं.:—27 प.ह.नं.:—26
 2- रा.नि.मं. :—बंडोल तहसील:—सिवनी जिला:—सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:— 1.84 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		सरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी का परिमाण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सरीफ खां पुत्र अहमद खां, जुलेखाबी पुत्री अहमद खां हसीनाबी पुत्री अहमद खां कनीजाबी पुत्री अहमद खां अनीसा शेख बेवा रफीक खां इमरान शेख पुत्र रफीक खां मोहसिन शेख पुत्र रफीक खां, हमीदा बेवा मुबीन खां इरसाद पुत्र मुबीन खां नौशाद पुत्र मुबीन खां गौसिया पुत्री मुबीन खां जाति मुसलमान पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	पंच नहर	रहमत बी पत्नी शेख युसुब, बगौरा की भूमि	सरीफ खां पिता अहमद खां बगौरा की भूमि	रहमत बी पत्नी शेख युसुब, बगौरा की भूमि	—	—	—	—

2	29	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	<p>रहमत बी पत्नी शेख युसुफ, शेख अतीक पुत्र शेख नजीर, शसीदाबी पति स्व.शेख रशीद, अंजुम पुत्री शेख रशीद, आयशा, असमा, सायमा, रेशमा, पुत्री शेख रशीद हमुदाबी, जुबैदाबी, हसीनाबी, फेहमीदाबी, सकीना बी, नूरजहाँ शाह, जाहीदा बी, शाहीदा बी, पुत्री शेख अहमद, छाया ठाकुर पत्नी स्व.जमीर अहमद, करतवा अहमद पुत्र जमीर अहमद, इरमा अहमद पुत्री जमीर अहमद, अकसा अहमद, पुत्री जमीर अहमद, शेख शरीफ पुत्र शेख अहमद, हसीना बेगम, जुलेखा बी कनीजा बी, पुत्री शेख अहमद, हमीदा बेगम पत्नी स्व. शेख मुबीन, इरशाद मुबीन खान पुत्र शेख मुबीन, नौसाद मुबीन खान पिता शेख मुबीन, गौसिया पुत्री शेख मुबीन, अनिशा पत्नी स्व.शेख रफीक, इमरान रफीक शेख पुत्र शेख रफीक, मोशिन रफीक शेख पुत्र शेख रफीक, शेख शकील, शमीम खा शब्ीर खान, शेख शफीक, शेख सलीम पुत्र शेख इब्राहीम, साहिना बानो, सलमा बानो, पुत्री शेख इब्राहीम, शेख अकील पुत्र शेख नजीर, शेख अबुलेश, शेखपरवेश, पुत्र शेख नजीर, तहमीनाबी पुत्री शेख नजीर, शमीमाबी बेवा शेख नजीर, इरफान पुत्र सलाम खा, महरूननिशा, रविपुननिशा पुत्री सलामखा जाति मुसलमान पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी</p>	सरीफ खां पिता अहमद खां बगौरा की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	सरीफ खां पिता अहमद खां बगौरा की भूमि	रहमत बी पत्नी शेख युसुब, बगौरा की भूमि	-	-	-	-
3	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	<p>सरीफ खां पुत्र अहमद खां जुलेखाबी, हसीनाबी, कनीजाबी पुत्री अहमद खां, अनीसा शेख बेवा रफीक खां, इमरान शेख, मोहसिन पुत्र रफीक खां, हमीदा बेवा मुबीन खां, इरशाद, नौसाद पुत्र मुबीन खां, गौसिया पुत्री मुबीन खां जाति मुसलमान पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी</p>	रहमत बी पत्नी शेख युसुब, बगौरा की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	रहमत बी पत्नी शेख युसुब, बगौरा की भूमि	ठाकुराबी पत्नी जहीरखां की भूमि				

4	26/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	देवकी पत्नि सेवकराम जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास भूमि)	रामकिशोर पिता सेवकराम की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	रहमत बी पत्नी शेख मुसुब, बगैरा की भूमि	-	-	-	-
5	40/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	दयाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	राधेश्याम पुत्र रेशमी बागरी की भूमि	दीनदयाल, बगैरा पुत्र ओमकारसिंह की भूमि	राधेश्याम पुत्र रेशमी बागरी की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	-	-	-	-
6	40/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	दीनदयाल, देवराज सर्वेश पुत्र ओमकारसिंह, मनीबाई बेवा ओमकारसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	दयाराम पुत्र बाबूलाल बागरी की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	टीकाराम पिता बाबूलाल की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	-	-	-	-
7	169	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	बंजारी पुत्र फुंदरू, कौशलया पत्नी सुन्दर, विजिया पत्नी रूपा, सुदिया बेवा फुन्दरू जाति महेश पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	मोटिलाल पुत्र नंदलाल जाति तेली की भूमि	पप्पूसिंह, महेन्द्रसिंह, पुत्र स्वराजसिंह की भूमि	मेसर्स एलटी बिल्डकाम प्रा.लि. कम्पनी की भूमि	-	-	-	-
8	168/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	मोतीलाल पुत्र नंदलाल जाति तेली पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	बंजारी पुत्र फुंदरू बगैरा की भूमि	ज्ञानवतीबाई पत्नि प्रकाश जाति कुर्मी की भूमि	पप्पूसिंह, महेन्द्रसिंह, पुत्र स्वराजसिंह की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	-	-	-	-
9	168/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ज्ञानवतीबाई पत्नि प्रकाश जाति कुर्मी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	मोटिलाल पुत्र नंदलाल जाति तेली की भूमि	बंजारी पुत्र फुंदरू बगैरा की भूमि	पप्पूसिंह, महेन्द्रसिंह, पुत्र स्वराजसिंह की भूमि	मोटिलाल पुत्र नंदलाल जाति तेली की भूमि	-	-	-	-
10	167/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	पप्पूसिंह, महेन्द्रसिंह, पुत्र स्वराजसिंह, पप्पीबाई पुत्री स्वराजसिंह, रामदुलारी बेवा स्वराजसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	बंजारी पुत्र फुंदरू बगैरा की भूमि	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	रंजनसिंह पुत्र लखनसिंह बागरी की भूमि	मोटिलाल पुत्र नंदलाल जाति तेली की भूमि	-	-	-	-

11	164	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह, रामकृष्ण पुत्र देवीसिंह, रामनरेश पुत्र देवीसिंह, मुन्नीबाई बेवा देवीसिंह जाति बागरी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	पणूसिंह, महेन्द्रसिंह, पुत्र स्वराजसिंह की भूमि	नारायण पिता पतिराम बगैरा की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम जाति मूरतसिंह पिता मोपत की भूमि	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	ज्ञानवतीबाई पति प्रकाश जाति कुर्मी की भूमि	मेसर्स एलटी बिल्डकाम प्रा.लि.कम्पनी की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम जाति बागरी की भूमि	महेशप्रसाद पिता बाबूलाल टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
12	159/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी की भूमि	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
13	163	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	नारायणसिंह पुत्र पतीराम जाति बागरी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी की भूमि	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	टीकाराम पुत्र बाबूलाल जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
14	162	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	नारायण पुत्र पतिराम, चैतराम पुत्र पतिराम, सीलो बेवा पतिराम, जाति बागरी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	-	-	-	-
15	210/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	जितेन्द्रकुमार ना.बा.पुत्र झलकनसिंह संरक्षक झलकनसिंह जाति बागरी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	शोरसिंह पिता नान्हो बगैरा की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	श्यामाबाई बेवा देवीसिंह की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (पक्का रास्ता)	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	नारायण पुत्र पतिराम की भूमि	-	-	-	-
16	20/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अमरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति बागरी पता निवासी नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	चर्मद पिता छिदानी की भूमि	दीनदयाल, बगैरा पुत्र ओमकारसिंह की भूमि	सहसपुरी पत्नी सूरजसिंह की भूमि	ग्राम अलोनिया की सीमा	चर्मद पिता छिदानी की भूमि	दीनदयाल, बगैरा पुत्र ओमकारसिंह की भूमि	सहसपुरी पत्नी सूरजसिंह की भूमि	ग्राम अलोनिया की सीमा	-	-	-	-
17	177/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजेशकुमार पुत्र गजराजसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	झलकनसिंह पुत्र मोपतसिंह जाति	संतोषकुमार पुत्र गजराजसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	झलकनसिंह पुत्र मोपतसिंह जाति	संतोषकुमार पुत्र गजराजसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-

18	177/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	संतोषकुमार पुत्र गजराजसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिरवामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	झलकनसिंह पुत्र भोपतसिंह जाति	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति	राजेशकुमार पुत्र गजराजसिंह जाति	-	-	-	-
19	176/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	झलकनसिंह पुत्र भोपतसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
20	177/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म.प्र. भूमिरवामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	दुलारी पत्नी स्वराजसिंह बागरी	झलकनसिंह पुत्र भोपतसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	झलकनसिंह पुत्र भोपतसिंह जाति	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
21	178	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	झलकनसिंह पुत्र भोपतसिंह जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास भूमि)	दुलारी पत्नी स्वराजसिंह बागरी की भूमि	शेरसिंह पुत्र नान्हों जाति बागरी की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (घास भूमि)	कुवरसिंह पुत्र फूलसिंह जाति बागरी की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
22	179	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	शेरसिंह पुत्र नान्हों जाति बागरी पता नारायणगंज सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (घास भूमि)	संतोष कुमार पिता नान्हें बागरी की भूमि	ग्राम गोरखपुरखुर्द की सीमा	म.प्र. शासन शासकीय (घास भूमि)	दुलारी पत्नी स्वराजसिंह बागरी की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
23	117/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	इंदुमति पत्नी सुरजीतसिंह जाति नगपुरे पता फ्लेट न. 108 प्रथम तल विनायक परिसर गुलमोहर कालोनी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र. शासन शासकीय (कच्चा रास्ता)	ग्राम कुकलाह की सीमा	ग्राम नहर	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
24	130/2/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	इंदुमति पत्नी सुरजीतसिंह जाति नगपुरे पता फ्लेट न. 108 प्रथम तल विनायक परिसर गुलमोहर कालोनी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	संजयकुमार, सुनीलकुमार पिता उत्तमचंद की भूमि	ग्राम कुकलाह की सीमा	राजकुमार पत्नी ब्रजनोहन की भूमि	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	म.प्र. शासन शासकीय (घास)	-	-	-	-
कुल निजी भूमि का योग				1.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पैच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4869-जि.मू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

अनुसूची

परियोजना का नाम – पंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी शाखा नहर

- 1- ग्राम का नाम :-परासिया ब.नं.:-174 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.86 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल(हे.मं.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	211/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	जेहरू, नेहरु, चंद्रमोहन,पिता भोलू सकरवती, सुन्नो शहावती पुत्री भोलू चमरी पत्नी भोलू जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र भूमिस्वामी	केभी राधेलाल बौरा पिता अब्दुससिह	कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर	हुकुमचंद पिता गनाराम भूमिस्वामी	-	-	-	-

2	12/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	प्रमीलाबाई बेबा ओतम अजय, विजय, मुकेश, अनीता पिता स्व. ओतम जाति बंजारा, राजवती कलाबती पुत्री ताराचंद जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	विरेंद्रसिंह पिता नकुलसिंह धुर्वे	असरलाल पिता कुंवरसिंह	कोधी राधेलाल बगैरा पिता अवधसिंह	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
3	12/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	काधी राधेलाल श्रीकांत टकेवर किशनलाल पिता अवधसिंह मिलदे कान्ती जानकी पिता अवधसिंह सोनकी ध.प. स्व. अवधसिंह संतो संतरी पिता ताराचंद जाति बंजारा पता सा.देह भूमिस्वामी	गोपालसिंह पिता सुखचैनसिंह भूमिस्वामी	जेडरू, नेहरू, बगैरा जाति बंजारा	शिवचरण पिता ताराचंद भूमिस्वामी	प्रमीलाबाई बेबा ओतम अजय, बगैरा पुत्र पुत्री ताराचंद	-	-	-	-
4	8/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	गोपालसिंह पिता सुखचैन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारगाह)	कोधी राधेलाल बगैरा पिता अवधसिंह	दफेलाल पिता मगालाल भूमिस्वामी	विरेंद्रसिंह पिता नकुलसिंह धुर्वे	-	-	-	-
5	21/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	मेहतर पिता अमरसिंह रमेशचंद रामकली पिता सम्मू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	सुकरती ध.प.स्व. सुकलू रम्मू सम्मू रामसखी सखिया पिता सुकलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र शासन(चारगाह)	सुमतिया पिता अमरसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र शासन(चारगाह)	-	-	-	-

6	21/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मेहतर पिता अमरसिंह रमेशचंद रामकली पिता सम्मू जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	धनो जोजे मल्लू भूमिस्वामी	सुकरबती पुत्री समरलाल पता परासिया सिवनी भूमिस्वामी	जमना बगैरा जोजे डीनो भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
7	21/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुमतिया पिता अमरसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुकरती ध.प.स्व. सुकलू बगैरा	मोहनलाल पिता हीरालाल भूमिस्वामी	सुकरती ध.प.स्व. सुकलू बगैरा	मेहतर पिता अमरसिंह बगैरा पिता सम्मू	-	-	-	-
8	21/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सुकरती ध.प. स्व. सुकलू रम्मू सम्मू रामसखी सखिया पिता सुकलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुमतलाल पिता अमरसिंह	सुमतिया पिता-अमरसिंह	देमनलाल पिता धरम्मू भूमिस्वामी	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
9	21/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुमतलाल पिता अमरसिंह जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुकरबती पुत्री समरलाल	सुकरती ध.प.स्व. सुकलू	सुमतिया पिता अमरसिंह	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
10	21/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सुकरबती पुत्री समरलाल पता परासिया सिवनी भूमिस्वामी	मेहतर पिता अमरसिंह	सुमतलाल पिता अमरसिंह	मेहतर पिता अमरसिंह	म.प्र शासन (चारगाह)	-	-	-	-
योग	10			0.86									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4880-जि.भू.अ.-2022

सिवनी, दिनांक 26 अगस्त 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- झिलमिली ब.नं.:-223 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.80 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कर्मांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	120/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	नीलेश लखन सिंह ना.वा. पिता टेकसिंह वली मां भूमिस्वामी	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू बगैरा की भूमि	राजेन्द्र शिवरंजन पिता वलबतसिंह बगैरा की भूमि	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू बगैरा की भूमि	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह की भूमि	-	-	-	-
2	119	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू सविताबाई पिता भादू फूलवती ध.प.स्व. भादू भूमिस्वामी	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पि. यानसिंह की भूमि	नेमीचंद पिता कपूरचंद की भूमि	ग्राम परासिया की सीमा	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-

3	120/10	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	राजेन्द्र शिवरंजन पिता वलवंतसिंह बगैरा की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	राजेशसिंह पुत्र गनपतसिंह की भूमि	-	-	-	-
4	120/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुमत छोटी बगैरा पिता बालचन्द की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पि.यानसिंह की भूमि	राजेन्द्र बगैरा पिता बलवन्तसिंह की भूमि	-	-	-	-
5	120/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू, बगैरा की भूमि	दडुआ जाति लोहार की भूमि	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक की भूमि	-	-	-	-
6	120/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	राजेन्द्र शिवरंजन सतीष अनीता पिता बलवन्तसिंह बटिटीबाई ध0प0स्व0 बलवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि0ग्रा0 भूमिस्वामी	कुमत छोटी बगैरा पिता बालचन्द की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-
7	122/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	शिवप्रसाद पिता काशीराम तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शिवप्रसाद पिता काशीराम की भूमि	म.प्र.शासनरास्ता	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-
8	122/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	प्रदीपकुमार पिता काशीराम तेली पता सा.देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	शिवप्रसाद पिता काशीराम की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
9	123/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुखिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रनेश बाबूलाल बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	जीवन पुत्र अन्तराम की भूमि	मोहनिया पुत्री अन्तराम की भूमि	-	-	-	-

10	123/5	भूमिस्वामी कृषि	0.01	मोहनिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रमेश बाबूलाल बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	सुखिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	धन्नो पुत्री अन्तराम की भूमि	-	-	-	-
11	123/6	भूमिस्वामी कृषि	0.01	धन्नो पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रत्नू पिता मुन्नालाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	मोहनिया पुत्री अन्तराम की भूमि	बालकराम पिता झगलू की भूमि	-	-	-	-
12	124	भूमिस्वामी कृषि	0.01	बालकराम पिता झगलू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	जीवनबगैरा पिता अन्तराम की भूमि	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	-	-	-	-
13	125	भूमिस्वामी कृषि	0.02	ईश्वर पिता सोलू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	बालकराम पिता झगलू की भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-
14	126	भूमिस्वामी कृषि	0.04	सुलाराम पिता भुगलू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	-	-	-	-
15	158	भूमिस्वामी कृषि	0.05	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	म.प्र.शासनरास्ता	म.प्र.शासनरास्ता	म.प्र.शासनघास भूमि	-	-	-	-
16	155	भूमिस्वामी कृषि	0.08	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	शिवदयाल पिता अमरलाल की भूमि	-	-	-	-
17	156	भूमिस्वामी कृषि	0.05	सुनिया पत्नी सुलाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-

18	154	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	शिवदयाल पिता अमरलाल जाति चमार पता सा.देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-
19	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता झिलमिली सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	असाइ सुखराम पिता नहुआ की भूमि	-	-	-	-
20	129	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुलाराम पिता भुगलू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	-	-	-	-
21	131	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	असाइ सुखराम पिता नहुआ भदुआ पिता नहुआ सुकरती पिता नहुआ जाति गोंड भूमिस्वामी	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन रास्ता	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	विपतराम पिता मोती बगैरा की भूमि	-	-	-	-
22	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	तिलखा तिलकवती पिता चरिया जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	अधनिया रमसिया पिता साहमन की भूमि	म.प्र.शासन अन्य	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	विजिया ध.प.स्व. हजारीलाल की भूमि	-	-	-	-
23	12/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	अधनिया रमसिया पिता साहमन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रमोती पति लच्छीराम की भूमि	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	सलीम खां पिता जलीम खां की भूमि	विजिया ध.प.स्व. हजारीलाल की भूमि	-	-	-	-
24	12/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर बहादुर जंगलसी महेश पिता नकल अमोला ध.प.स्व. नकल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अधनिया रमसिया पिता साहमन की भूमि	रूपल पिता रमेश की भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	तिलखा तिलकवती पिता चरिया की भूमि	-	-	-	-

25	12/3	भूमिस्वामी कृषि	0.05	रूपल पिता रमेश जाति परधान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन घास भूमि	तिलखा तिलकवती पिता चरिया की भूमि	-	-	-	-
26	13	भूमिस्वामी कृषि	0.10	रमोती पति लच्छीराम जाति अहीर पता नि. बोरिया भूमिस्वामी	रामलाल पिता असाढ़ बोरिया की भूमि	अधनिया रसिया पिता साहमन की भूमि	सलीम खां पिता जलीम खां की भूमि	जगराम पिता अकलसिंह	-	-	-	-
27	16	भूमिस्वामी कृषि	0.15	रामलाल पिता असाढ़ रामप्यारी ना.बा. पि. असाढ़ वली मा. मंगली, मंगली ध.प.स्व. असाढ़ दादूराम गनपत पि. परसादी पिरनिया ध.प.स्व. परसादी जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	ग्राम बोरिया की सीमा	जगराम पिता अकलसिंह	रमोती पिता लच्छीराम की भूमि	शांति बोरिया पिता हरिप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
28	233/2	भूमिस्वामी कृषि	0.02	भगताराम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्ध जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	हेमंत उईके पिता अशोक उईके की भूमि	पंच परियोजना की नहर	हेमंत उईके पिता अशोक उईके की भूमि	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता की भूमि	-	-	-	-
29	225/1	भूमिस्वामी कृषि	0.06	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद जाति धोबी, रामनाथ, बैजनाथ लोकेश, मैना पिता खेमलाल जाति धोबी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सुगरत पिता कुन्दन की भूमि	ग्राम गोरखपुरखुर्द की सीमा	भगताराम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्ध की भूमि	राजाशामश्याम पिता भारत बोरिया की भूमि	-	-	-	-
30	228	भूमिस्वामी कृषि	0.05	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद जाति धोबी, रामनाथ, बैजनाथ लोकेश, मैना पिता खेमलाल जाति धोबी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगताराम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्ध की भूमि	म.प्र.शासनघास भूमि	म.प्र.शासनघास भूमि	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद की भूमि	-	-	-	-
30	योग		1.80									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 4881-जि.भू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- भरूटोला ब.नं.-143 प.ह.नं.-26
 2- रा.नि.मं. :- बड़ोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सावित्री ध0प0 मन्थुलाल, सुखवती ध0प0 महेश जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	रामनाथ पिता धनाराम बगौरा की भूमि	विशालकुमार पिता प्रफूलकुमार कोठारी की भूमि	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	-	-	-	-
2	20	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	रामनाथ पिता धनाराम जायोबाई आयोबाई पिता कोदूर इमरती पति साधू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सावित्री ध.प. मन्थुलाल, सुखवती ध.प. महेश की भूमि	रामकुंवर पिता श्रीचंद की भूमि	सावित्री ध.प. मन्थुलाल, सुखवती ध.प. महेश की भूमि	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	-	-	-	-

3	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रघुराजसिंह पिता बखतलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामनाथ पिता घनाशम बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	संतोषसिंह पिता रघुवीरसिंह की भूमि	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल की भूमि	-	-	-	-
4	35	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	प्रेमाबाई ध.प.स्व. मन्तू की भूमि	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल की भूमि	नन्दलाल पिता बखतलाल की भूमि	-	-	-	-
5	89	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सरूआ जमनाप्रसाद, भागवतीबाई, शांतिबाई, चैनवतीबाई, पिता सुखराम जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	शिवकली ध0प0स्व0 बाबूलाल की भूमि	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	-	-	-	-
6	90	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	शिवकलीबाई ध0प0स्व0 बाबूलाल, राकेश, मनीष पिता बाबूलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	शिवकली पिता कडोरी की भूमि	लेखमनीबाई पति सुमरी की भूमि	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	-	-	-	-
7	103	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	बराती, बहिबा, लेखमनी पिता बरातीलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	शिवकली पिता कडोरी की भूमि	हरचंद पिता बरातीलाल की भूमि	-	-	-	-
8	104	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	हरचंद पिता बरातीलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	म.प्र.शासन गोरेखपुर रास्ता	बराती, बहिबा, लेखमनी पिता बरातीलाल की भूमि	दर्शन पिता बरातीलाल की भूमि	-	-	-	-
8	योग			0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 4882-जि.मू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- परासिया ब.नं.-174 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-3.24 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	445/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सुशीलकुमार, संतकुमार, सुषमा पिता मोतीलाल जाति नाई, आशीष, अखिलेश अतुल पिता महेश जाति नाई पता सिवनी म.प्र. भूमिरवागी	संतकुमार पिता मोतीलाल जाति नाई की भूमि	पिता मोतीलाल जाति नाई की नहर	शासकीय रास्ता	भूमि	-	-	-	-
2	445/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संतकुमार पिता मोतीलाल जाति नाई पता सा. देह भूमिस्वामी	सुशीलकुमार पिता मोतीलाल जाति नाई की भूमि	सुशीलकुमार, बगैरा पिता मोतीलाल नाई की भूमि	शासकीय रास्ता	भूमि	-	-	-	-

3	445/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सुशीलकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई पता सा. देह भूमिस्वामी	दिनेशकुमार पिता नन्देलाल की भूमि	संतकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	शासकीय रास्ता	घनश्याम पिता भागवद की भूमि	-	-	-	-
4	446	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	रामनाथ पुत्र प्रेमा जाति नाई पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	सुशीलकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
5	447/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	रामनाथ पुत्र प्रेमा जाति नाई की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
6	447/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
7	447/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रामेश्वर, मस्तराम पिता गुलाब की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
8	498	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामेश्वर मस्तराम रामभगत रामकिशानी कमला सुरजनिया गुड्डो सुदामा पिता गुलाब इमरोती ध. पत्नि स्व. गुलाब जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	दादूराम पिता दमडी बगैरा की भूमि	मदन पिता बैयालाल की भूमि	शासकीय रास्ता	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
9	448	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	केशराम सखिया किसनिया किसन्ता गौरी कासी पिता पतिराम श्यामाबाई ध.प.स्व. पतिराम शैलवती पिता वजारी जाति अहीर पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय चारागाह की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	दादूराम पिता दमडी बगैरा की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-

10	454/10	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	नर्मदाबाई पत्नि देवीसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अंबूबाई पत्नि नंदलाल की भूमि	गौरीशंकर ना.बा.वल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	बाबूलाल पिता समाचंद की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
11	454/9	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गौरीशंकर ना.बा. वल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नर्मदाबाई पत्नि देवीसिंह जाति बंजारा की भूमि	सुकरती पत्नि मोहनलाल जाति बंजारा की भूमि	शारदा ना.बा. हिमंतसिंह की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
12	454/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुकरती पत्नि मोहनलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	गौरीशंकर ना.बा.वल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	गौरीशंकर ना.बा.वल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	जामवती पत्नि खूबचंद की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	-	-	-	-
13	454/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	गौरीशंकर ना.बा.वल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	सुनील पिता बीरनसिंह की भूमि	-	-	-	-
14	482/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	हेमराज विन्नी हेमकली पिता वारेलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	कष्णा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
15	482/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कष्णा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल, जाति कतिया, विजय पिता कन्हैया, विनोद पिता कन्हैया, मनोज पिता कन्हैया, जाति कतिया पता परासिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	हेमराज विन्नी हेमकली पिता वारेलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-

16	482/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	पंकज, रामकेश मैता पिता रमेश वली आजी पता सा.देह भूमिस्वामी	कंचनिया ध.प.स्व. छोटेलाल जाति कतिया की भूमि	कच्चा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल बगैरा की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
17	482/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	कंचनिया ध.प.स्व. छोटेलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	शारदा ना.बा. पिता हिम्मतसिंह की भूमि	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
18	482/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	शारदा ना.बा. पिता हिम्मतसिंह वली माँ सुकरती सुकरती ध.प.स्व. हिम्मतसिंह जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	पंकज, रामकेश मैता पिता रमेश वली आजी पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय चारगाह भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	गौरीशंकर ना.बा.गल्द वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	-	-	-	-
19	479/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ब्रह्मानसिंह पिता लखनसिंह बगैरा की भूमि	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	शासकीय वन भूमि	-	-	-	-	-
20	479/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	हरिराम पूनाराम, रामसिंह, इमरती पिता बंशीलाल जाति कतिया पता सा.देह भूमिस्वामी	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	अमनिया ध.प.स्व. चिन्तामन की भूमि	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	-	-	-	-	-
21	479/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय नाला	हरिराम पूनाराम बगैरा पिता बंशीलाल की भूमि	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-	-
22	464/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	शारदा ना.बा. पिता हिम्मत की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-	-
23	464/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	अन्नुबाई पति नंदलाल की भूमि	-	-	-	-	-

24	148/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सतीश सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी जाति सोनी पता छपारा सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	शासकीय रास्ता	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	संजय सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी की भूमि	-	-	-	-
25	147/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	नोमी, नोमचंद पिता कपूर गोरा पुत्री कपूर जाति लमाना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामजी पिता सोमा साहवती की भूमि	शासकीय रास्ता	बाबूलाल पिता समाचंद जाति कतिया की भूमि	सतीश सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी की भूमि	-	-	-	-
26	147/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बसोडी पिता अमरसिंह जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	रतीराम पिता समाचंद जाति कतिया की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	-	-	-	-
27	130/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	रामजी पिता सोमा साहवती मेनकी गुड़डू ममता पिता सोमा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	ढबू पिता धूमा की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	-	-	-	-
28	144/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रतीराम पिता समाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	लालचंद पिता पबिया की भूमि	बाबूलाल पिता समाचंद जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रतीराम पिता समाचंद जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-
29	131/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना पता सा. देह भूमिस्वामी	रघुवीर पिता भुवनलाल बगौरा की भूमि	रतीराम पिता समाचंद जाति कतिया की भूमि	लालचंद पिता पबिया की भूमि	ढबू पिता धूमा की भूमि	-	-	-	-
30	127	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	ढबू पिता धूमा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, वधिया पिता डोमा जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
31	126	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	ढबू पिता धूमा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-

32	97/4	भूमिस्वामी कृषि	0.08	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	प्रगीलाबाई बगैरा ओतम की भूमि	-	-	-	-
33	97/3	भूमिस्वामी कृषि	0.07	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय आबादी भूमि	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बजारा की भूमि	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बजारा की भूमि	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	-	-	-	-
34	98/1	भूमिस्वामी कृषि	0.01	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय आबादी भूमि	प्रगीलाबाई बगैरा ओतम की भूमि	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	-	-	-	-
35	105/2	भूमिस्वामी कृषि	0.17	कार्तिक, हेमंतकुमार, रिषीकेश, कार्तिका ना.बा.पिता माखन वली मों गुरुपतिया, गुरुपतिया घ.प. स्व. माखन जाति बजारा पता सा. देह भूमिस्वामी	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय आबादी भूमि	नीलम पिता वरणलाल की भूमि	दुलारे पिता बालाराम की भूमि	-	-	-	-
36	81	भूमिस्वामी कृषि	0.06	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	कार्तिक, बगैरा पिता माखन की भूमि	समलू पिता टीकाराम की भूमि	बालाराम पिता हरचंद की भूमि	-	-	-	-
37	106/5	भूमिस्वामी कृषि	0.03	समलू पिता टीकाराम जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	कुम्माबाई पति रविशंकर की भूमि	प्रगीलाबाई बगैरा ओतम की भूमि	कुम्माबाई पति रविशंकर की भूमि	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल की भूमि	-	-	-	-
38	80/1	भूमिस्वामी कृषि	0.04	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	समरचंद पिता भूरु की भूमि	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	कुम्माबाई पति रविशंकर की भूमि	समरचंद पिता भूरु की भूमि	-	-	-	-
39	80/2	भूमिस्वामी कृषि	0.03	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया की भूमि	कुम्माबाई पति रविशंकर की भूमि	बालाराम पिता हरचंद की भूमि	-	-	-	-
39	योग	योग	3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच ध्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 4883-जि.भू.अ.-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :- कुकलाह ब.नं.-27 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-2.40 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	स्वाभिल का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	प्रमोद, प्रदीप, राजेन्द्र, दुर्गाबाई, रामकुमारी शशिबाई प्रीतिबाई पुत्र पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	प्रमोद, प्रदीप बगैरा पिता मेरसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर	-	-	-	-
2	24/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-
3	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-

4	24/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	कुंजभवन बगैरा पुत्र पुत्री परतापसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
5	14/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	भगवानदास पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	नाहो बगैरा पिता पुनू की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	प्रमोद, प्रदीप बगैरा पिता मेरसिंह की भूमि				
6	14/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंजभवन बगैरा पुत्र पुत्री परतापसिंह की भूमि	नाहो बगैरा पिता पुनू की भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
7	23	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	कुंजभवन रामलखन, जगदीश, जानकीबाई, पुत्र पुत्री परतापसिंह, रामोबाई बेवा परतापसिंह जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि				
8	16/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	बंजारी पुत्र मिगनू जाति मेहरा पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	मालती पति मिगनू बगैरा की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि				
9	16/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अर्जुनसिंह पुत्र कमलसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि				
10	53	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अनुज नाबालिग पुत्र रामकुमार संरक्षक माँ सुशील पति रामकुमार जाति बागरी पता बडी पुलिस लाइन सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	वाटूराम, दयाराम बगैरा पिता चमरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	धनश्याम पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा				

11	48/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मूरतसिंह पुत्र तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सतलाल पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	गम्पू पुत्र भगवत बागरी बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन नाला				
12	47	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	गम्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुधरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, फुल्लो पुत्री गोधन जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोगाखेडा सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	लीलम पिता तेजलाल की भूमि				
13	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि	गम्पू पुत्र भगवत बागरी की भूमि				
14	44/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	राजकुमार पिता प्रहलादसिंह की भूमि				
15	43/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि				
16	43/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि				
17	283/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि				
18	283/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बगैरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि				

19	285/1	भूमिस्वामी कृषि	0.01	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बगौरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
20	285/2	भूमिस्वामी कृषि	0.01	ब्रजमोहन, राजमोहन, सूरजबाई, पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्र पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी राजा, रानू पुत्र पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
21	121/1	भूमिस्वामी कृषि	0.01	अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष, रेनूबाई सपना पुत्र पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पुत्री फुलवती, बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-
22	121/3	भूमिस्वामी कृषि	0.26	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-
23	122/2	भूमिस्वामी कृषि	0.01	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-
24	122/1	भूमिस्वामी कृषि	0.07	अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष, रेनूबाई सपना पुत्र पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पुत्री फुलवती, बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पुत्र थानसिंह की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	रमनिया पिता बदरू गोंड की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	-	-	-	-

25	123/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	अर्जुनसिंह पुत्र थानसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	काशीराम बौरा पुत्र चैतराम की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि	-	-	-	-
26	136/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	अरविंद पिता जगतसिंह की भूमि	अयजनसिंह पिता काशीराम बौरा की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	-	-	-	-
27	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सिलोचनाबाई बेवा गिरवरसिंह जाति बागरी रवीन्द्र, अरविंद पुत्र गिरवरसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	शिवसिंह पिता शोभाराम की भूमि	-	-	-	-
28	131	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	श्यामा पत्नी भारामल की भूमि	-	-	-	-
29	137/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	सुषमा पुत्री जगतसिंह की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
30	137/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	अभिलाषा पिता भगतसिंह की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	138/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	भगतसिंह पिता रामदयालसिंह की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	शिवानंद पिता ददुआ की भूमि	सुषमा पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	योग			2.40									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिपनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र. 4884-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुरूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अपर तिलवारा परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री तिलवारा बांयी तट संभाग केवलारी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बायत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण विभाग के द्वारा दिनांक 22 जून 1983 को रवीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- सुनवारा

प.इ.नं. :- 34

रा.नि.मं. :- धनौरा

तहसील :- धनौरा

जिला :- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 0.28 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हे.मी.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगत कि.सं.	संख्या	प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	677/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	जितेन्द्र पिता मानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ठाकुर जी के मंदिर की भूमि	कीर्तिबाई की भूमि	जुबेदाबी की भूमि	धमेन्द्र की भूमि	-	-	-	-
2	677/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कीर्तिबाई ध.प.स्व. श्यामसिंह नीलेश कुमार लता उर्फ निशा ना.बा. पिता श्यामसिंह पालक मां. कीर्तिबाई जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी	जितेन्द्र की भूमि	शासकीय रास्ता	जुबेदाबी की भूमि	करतार सिंह की भूमि	-	-	-	-
3	227/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	कांतिबाई उर्फ लक्ष्मीबाई बेवा राजेन्द्रकुमार आशीष गनीष आरती ज्योति पिता राजेन्द्र कुमार जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी	ओमप्रकाश की भूमि	भगवानप्रसाद की भूमि	मुगोबाई की भूमि	ओमप्रकाश की भूमि	-	-	-	-
योग	3			0.28						-	-	-	-

- 1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्य / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- 4 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-01-अ-82-22-23-सड़कवाड़ा-9879.-

बैतूल, दिनांक 12 अगस्त 2022

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी	अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5		6
बैतूल (म0प्र0)	घोड़ाडोंगरी	सड़कवाड़ा	0.002	उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर		ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नविया बेवा फगनू, कलेसिया, कलावती,सुमरती,फूलवती, सुलन्ती पिता फगनू, मंगलसिंग व० मन्नू, झम्मी बेवा मोडडा भैयालाल, गजमल,विसिंग, विसनू व० मोडडा, सुनिल व० मोडडा, झुनगी, फूलवती, श्यामवती पिता मोडडा,डोगरी रामबाई पिता श्यामू, कमला बेवा डेबू, रामदास व० डेबू छतन व० लक्ष्मण, नुकी, सुब्बा,धरमती, पिता लक्ष्मण, मन्दी, झबली बेवा सम्मल, इमरत व० सम्मल, परेश, पकाश व० दसरू, जयवन्ती सैवन्ती पिता दसरू, जयवन्ती, सेवन्ती पिता दसरू, श्यामलाल, रामलाल, बिरजा व० मोहन कैलो पिता मोहन, रैमा बेवा हीरालाल, चरण, अशोक व० हीरालाल श्यामवली पिता हीरालाल,सुमत्रा बेवा ससुक्का महेश, सुखदेव व० सुक्का, अर्चना, सुनिता पिता सुक्का, रामजी किसन व० जोगी, लक्ष्मी, रामबाई पिता जोगी निवासी सा० देह भूमि स्वामी	218	0.089	0.002
	योग	1	0.089	0.002

- 1- चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-5-अ-82-2021-22-दुनई-10094.-

बैतूल, दिनांक 23 अगस्त 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ('कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे0 में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	दुनई	0.842	काठी लघु जलाशय हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे0 में	अर्जन का रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	मनोज पिता बाबूलाल, ममता पिता बाबूलाल, नान्ही बेवा बाबूलाल जाति पंवार निवासी काठी	289/1 16	0.142 0.959	0.142 0.136
2	लक्ष्मण पिता लल्लू जाति पंवार निवासी दुनई	293/4	0.260	0.048
3	नान्हू पिता लल्लू जाति पंवार निवासी दुनई	293/5	0.260	0.048
4	बल्लू उर्फ बबलू पिता लल्लू जाति पंवार नि. दुनई	293/6 309/5	0.260 0.083	0.048 0.083
5	सवनी, जुगनी, कला, दशरी पिता तेजी, कमलिया पिता लल्लू जाति पंवार निवासी दुनई	293/7	0.034	0.034
6	पांची बेवा बिहार, मधु बिपत पिता बिहारी, शकुन बेवा मानिकराव, अशोक, अनिल, पप्पू, गब्बर पिता मानिकराव, संतोषी पिता मानिकराव, सारजी, माहो, मीरा, मुन्नी पिता बिहारी जाति पवार निवासी दुनई ।	295/3	0.955	0.303
	योग	08	2.953	0.842

(2) चूंकि काठी लघु जलाशय के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-46-अ-82-2019-20-टूराबोरगांव-10095.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आमला	टूराबोरगांव	0.486	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय हेतु ।

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नान्ही बेवा चैतराम, शिवराज, नानकराम व० चैतराम, संगीता पिता चैतराम, मना व० रामू शिवराम व० घुडन, कुसमी जौजे घुडन सा० देहभूमि स्वामी।	417	0.486	0.486
योग		01	0.486	0.486

(2) चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-3-अ-82-2021-22-ब्राह्मणवाडा-10096.-

चूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आमला	ब्राह्मणवाडा	0.535	ब्राह्मणवाडा लघु जलाशय हेतु ।

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	कमला बेवा केशोराव, मनोज, प्रकाश, गंगाधर व० केशोराव भूमि स्वामी निवासी बैतूल	329/1	0.140	0.108
2	सावन्या, खुडडी, मूलचंद, पिता रामदयाल, नान्ही, गेंदा, मंधा, पुत्री रामदयाल, मंगली बेवा रामदयाल, द्वारका पत्नी रेवजी भूमि स्वामी निवासी बैतूल	366/1	0.700	0.190
3	फागू पिता गोधु सा० देह भूमि स्वामी	366/2	0.065	0.065
4	फत्तू पिता शिवजी सा० देह भूमि स्वामी	367/1	0.052	0.052
5	छुटटन पिता शिवा, इन्द्र, भागीबाई, रामबाई पुत्री शिवा, सा० देह भूमि स्वामी	367/2	0.567	0.120
योग		05	1.524	0.535

(2) चूँकि ब्राह्मणवाडा लघु जलाशय के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-14-अ-82-21-22-लिहदा-10107.-

बैतूल, दिनांक 24 अगस्त 2022

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/मकान, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	लिहदा	8.775	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र व० संतोषराव कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	94/4	1.012	1.012
2	भगवंतराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/1	0.315	0.315
		437/7	0.081	0.081
3	शंकरराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी	437/2	0.315	0.315
		437/6	0.081	0.081
4	पंजाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/3	0.315	0.315
		437/5	0.080	0.080
5	गुलाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	437/4	0.395	0.395
6	विश्वनाथ व० श्यामराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी	444/2	0.405	0.405
		444/4	0.243	0.043
7	भगवान व० मारोती कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	152/3	1.661	1.661

8	कोंडया व० वारल्या कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	475/2	0.615	0.615
9	गंगाधर व० मारोती कुन्बी सा०देह भूमि स्वामी	129/7	0.056	0.056
10	येनू बेवा गेन्दू, रामकिसना, प्रविण,धन्नु व० गेन्दू कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	461/3	0.044	0.044
11	मिट्टू व० सखाराम, कौसू पिता सखाराम कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	461/4	0.042	0.042
12	रघुनाथ व० माध्या, कोसू, जयवन्ती पिता माध्या सा०देह भूमिस्वामी	463/3	0.599	0.599
		508/1	0.250	0.250
13	आनंदराव व० शिवराम कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	462/1	0.364	0.364
14	सकू बेवा गेन्दू, गजानंद व० गेन्दू, बाला, जयमाला, पिता गेन्दू कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	462/2	0.381	0.381
15	गेंदराव व० महादेव, महादेव व० गजमल, शंकरराव व० महादेव, भगरती पत्नि महादेव सा०देह भूमिस्वामी	502/2	0.550	0.509
16	सहादेव व० गजमल कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	502/3	0.688	0.308
17	पांडुरंग व० मारोती, मनी पिता सोनया कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	129/5	0.053	0.053
18	लीलाधर पिता मारोती कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	110/5	0.251	0.251
19	नत्थू पिता हिरू सा०देह भूमिस्वामी	142	0.142	0.142
20	नागोराव पिता मल्लू जाति कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी	431	1.558	0.458
योग		25	10.496	8.775

1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि लिहदा लघु जलाशय के अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 18 अगस्त 2022

क्रमांक 04 / भू-अर्जन / 2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04 / अ-82 / 22-23 3438 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पीपल्याकुमार तालाब निर्माण के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ की ग्राम बीजपडी एवं चमारी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पीपल्याकुमार तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु शेष प्रभावित भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बीजपडी	5	0.658	0.538
2	चमारी	54	5.298	4.015
कुलयोग :-		59	5.956	4.553

—: अनुसूची (2) :—

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बीजपडी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	रामसिंह पिता देवसिंह जाति मोग्या नि. ग्रा. भूमि स्वामी	125/1	0.015	0.015
	योग	1	0.015	0.015
2	तुलसीबाई बेवा शिवलाल, संतोष, रवि पिता शिवलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	113/1	0.110	0.110
	योग	1	0.110	0.110
3	प्रेमसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमि स्वामी	67/1	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
4	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	70/1/1	0.318	0.318
	योग	1	0.318	0.318

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
5	रामसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मोग्या नि. ग्रा. भू-स्वामी	112	0.150	0.030
	योग :-	1	0.150	0.030
	कुल योग :-	5	0.658	0.538

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चमारी

1	भंवरकुंवर बेवा देवीसिंह उर्फ प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	177/1	0.302	0.267
		264/2	0.032	0.032
	योग	2	0.334	0.299
2	शिवसिंह, उम्मेदसिंह मनोहरसिंह पिता मेहताब सिंह, कृष्णपालसिंह पिता गोकुल सिंह, दीपकुंवर बाई बेवा गोकुलसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	183/1	0.353	0.353
	योग	1	0.353	0.353
3	उम्मेदसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमि स्वामी	184	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
4	अमृतसिंहसिंह, शिवसिंहराज सिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	185	0.166	0.166
		262	0.060	0.060
	योग	2	0.226	0.226
5	धनसिंह पिता पदमसिंह राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/1	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
6	पिंकीबाई पिता भीमसिंह, धापूकुंवर बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/2	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
7	ब्रजराजसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	186/3	0.085	0.070
	योग	1	0.085	0.070
8	अमरसिंह पिता हनुमंतसिंह, फूलकुंवरबाई बेवा प्रभूनाथ सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/1/2	0.003	0.003
	योग	1	0.003	0.003
9	गंगासिंह पिता किशनसिंह, सेतानकुंवरबाई पति किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	207/2/1	0.027	0.003
	योग	1	0.027	0.003
10	गंगासिंह पिता किशनसिंह, जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	250/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033

सं.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
11	उमरावसिंह पिता केशरसिंह. जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	202/1	0.184	0.144
	योग	1	0.184	0.144
12	बल्लभसिंह, जालमसिंह, भगवानसिंह भंवरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/1	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
13	दीपसिंह पिता उदेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/2	0.101	0.086
	योग	1	0.101	0.086
14	भेपेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	197/3	0.125	0.105
		196	0.024	0.024
	योग	2	0.149	0.129
15	रोडीबाई बेवा बापूलाल, कमलसिंह, मांगीलाल, कैलाशबाई पिता बापूलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	195	0.341	0.100
	योग	1	0.341	0.100
16	बीरमसिंह, रामपालसिंह, बबलीकुंवरबाई, रामकुंवर पिता भंवरलाल, गोविन्द कुंवर बेवा भंवरलाल, मानकुंवरबाई, देवीसिंह पिता रूपसिंह, तरवरलाल पिता नन्दलाल, बालकुंवर बेवा नन्दलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	242	0.113	0.013
		253/2	0.096	0.096
		261/1	0.102	0.102
	योग	3	0.311	0.211
17	मेरवानसिंह, मनोहरसिंह, भगवानसिंह पिता रघुवीरसिंह, चन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/1	0.069	0.020
		263	0.065	0.065
	योग	2	0.134	0.085
18	सोभागसिंह, गजराजसिंह पिता भगवतसिंह, कृष्णाकुंवर, विष्णू कुंवर, नन्दकुंवर पुत्री भगवतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	241/2	0.069	0.020
	योग	1	0.069	0.020
19	रामस्वरूप पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	240	0.089	0.045
	योग	1	0.089	0.045
20	भगवानसिंह, गोकुलसिंह, भारतसिंह, दिलीपसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	225/1	0.051	0.051
	योग	1	0.051	0.051
21	सुल्तानसिंह पिता रामनाथसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/1/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
22	कालूसिंह, रतनसिंह, गोकुलसिंह पिता हरीसिंह, कंवरबाई बेवा हरिसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/1/1	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
23	विक्रमसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/2/2/1	0.037	0.037
	योग	1	0.037	0.037
24	मांगूसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	239/3	0.042	0.042
	योग	1	0.042	0.042
25	सजनसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	251/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
26	बजरंगसिंह, कल्याणसिंह पिता गंगासिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/2	0.064	0.064
		250/2	0.032	0.032
		320/1	0.100	0.100
		321	0.429	0.105
	योग	4	0.625	0.301
27	जगवहादुरसिंह, रघुवीरसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/1	0.051	0.051
		253/1/2	0.047	0.047
	योग	2	0.098	0.098
28	शिवसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	249/2	0.050	0.050
		254/1	0.083	0.030
	योग	2	0.133	0.080
29	सोनकुंवरबाई बेवा शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	254/2	0.083	0.030
	योग	1	0.083	0.030
30	अमृतसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	256	0.251	0.110
	योग	1	0.251	0.110
31	लालसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	257	0.077	0.077
	योग	1	0.077	0.077

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
32	केशरसिंह पिता दुलेशिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	264/1	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
33	रामपालसिंह पिता शंकरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	265	0.065	0.065
	योग	1	0.065	0.065
34	गुड्डा बाई पुत्री भवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	253/1/1	0.048	0.048
	योग	1	0.048	0.048
35	शंकरसिंह, खुदानसिंह, रतनसिंह पिता मोडसिंह संपतकुंवर, प्रेमकुंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	258	0.024	0.024
	योग	1	0.024	0.024
36	शिवराजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	259/2	0.033	0.033
	योग	1	0.033	0.033
37	लक्ष्मण सिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	317	0.138	0.103
	योग	1	0.138	0.103
38	हिम्मतसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/1	0.057	0.057
	योग	1	0.057	0.057
39	विक्रमसिंह पिता मेहताबसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	318/2	0.056	0.056
	योग	1	0.056	0.056
40	सोनाथसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/1/1/1	0.058	0.058
	योग	1	0.058	0.058
41	लालसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	319/2/1	0.079	0.079
	योग	1	0.079	0.079
42	गंगासिंह पिता किशनसिंह, उमराव कुंवर बेवा किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/1/1/1	0.129	0.129
	योग	1	0.129	0.129

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
43	शंकरसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	327/2/1	0.324	0.324
	योग	1	0.324	0.324
	कुल योग :-	54	5.298	4.015
	महायोग :-	59	5.956	4.553

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचौपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र.-12-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-22-6341-मौजा-बम्होरी,पट.ह.न.-18, तहसील-देवरी

सागर,दिनांक 26 अगस्त 2022

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य, शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर को खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बम्होरी जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। तथा परियोजना के निर्माण से करीब 785 हे० भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- 1) परियोजना का नाम : खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बम्होरी जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु
- 2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : बम्होरी
 4. पट.ह.न. : 18
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 57.890 हे०

::अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे० में	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)	शेष भूमि (रकवा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	59/1	1.43	1.58	1.65	
2	चन्द्ररानी जोजे जमना प्रसाद प्रथम कुमार पि.जमना प्रसाद	भू-स्वामी	59/2	1.80			
3	देशराज वल्द मनोहर गुप्ता	भू-स्वामी	61	1.25	0.10	1.15	
4	लक्ष्मन वल्द पुनउ	भू-स्वामी	63	1.19	1.19	0.00	
5	कमल वल्द धरमदास	भू-स्वामी	64/1	0.20	0.90	0.06	
6	नथू वल्द धरमदास	भू-स्वामी	64/2	0.48			
7	राजू वल्द नाथूराम	भू-स्वामी	64/3	0.28			

	कमल उर्फ कोमल पि. धरमदास	भू-स्वामी	65/1	0.40	0.40	0.00	
8	हीरालाल पि. नाथूराम	भू-स्वामी	65/2	1.32	1.32	0.00	
	राजू पि. नाथूराम	भू-स्वामी	65/3	1.05	1.05	0.00	
8	विश्वनाथ पि. कोमल	भू-स्वामी	65/4	0.35	0.35	0.00	
	राजेंद्र पि. कोमल	भू-स्वामी	65/5	0.55	0.55	0.00	
9	रामप्रसाद वल्द पुनउ	भू-स्वामी	66/1	1.46	1.15	0.99	
10	लक्ष्मन वल्द पुनउ	भू-स्वामी	66/2	0.68			
11	विश्वनाथ पि. कोमल	भू-स्वामी	67/1	0.43	0.43	0.00	
	राजेंद्र पि. कोमल	भू-स्वामी	67/2	0.43	0.43	0.00	
12	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	68/1	0.92	0.92	0.00	
13	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	68/2	0.04	0.04	0.00	
14	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	69/1	1.61	1.61	0.00	
15	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	69/2	1.10	1.10	0.00	
16	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	71	0.28	0.28	0.00	
17	बालकिशन बल्द चोखेलाल	भू-स्वामी	77/3	0.99	0.83	0.16	
18	बद्रीप्रसाद पिता चोखेलाल	भू-स्वामी	77/2	2.50	0.15	2.35	
19	हीरालाल पि. नाथूराम	भू-स्वामी	78/1	0.73	1.50	1.62	
19	राजू पि. नाथूराम	भू-स्वामी	78/2	0.73			
19	विश्वनाथ पि. कोमल	भू-स्वामी	78/3	0.83			
19	राजेंद्र पि. कोमल	भू-स्वामी	78/4	0.83			
20	रामजी वल्द बन्दलाल	भू-स्वामी	79	1.00	1.00	0.00	
21	जमना पिता छुट्टी	भू-स्वामी	80	2.50	2.50	0.00	
22	प्रभू वल्द नन्हे भाई	भू-स्वामी	81/1	0.51	0.51	0.00	
23	राकेश वल्द नन्हे भाई	भू-स्वामी	81/2	0.51	0.51	0.00	
24	नन्हे भाई वल्द छुट्टी	भू-स्वामी	81/3	1.01	1.01	0.00	
25	प्रभू वल्द नन्हे भाई	भू-स्वामी	82/1	0.70	1.40	0.00	
26	राकेश वल्द नन्हे भाई	भू-स्वामी	82/2	0.70			
27	बालकिशन बल्द चोखेलाल	भू-स्वामी	84/1	2.83	2.83	0.00	
28	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लई पिता पूरन, प्रभु, धर्मन्, बल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई, पूरन सुहागरानी, वेवा पूरन	भू-स्वामी	84/2	0.40	0.40	0.00	
29	कडोरी वल्द अयोध्या	भू-स्वामी	89	1.21	1.21	0.00	
30	साहब पिता बन्नुलाल	भू-स्वामी	90	1.28	1.28	0.00	
31	साहब पिता बन्नुलाल	भू-स्वामी	91	2.86	2.86	0.00	
	लखन पि. रामचरण	भू-स्वामी	94/1	0.70	0.70	0.00	
	रामचरण पि. गोरेलाल यादव	भू-स्वामी	94/2	0.39	0.39	0.00	
32	सेवक पि रामचरण यादव	भू-स्वामी	94/3	0.70	0.70	0.00	
33	रतीराम वल्द पूरन	भू-स्वामी	97/1	1.01	1.80	0.23	
34	झामसींग वल्द पूरन	भू-स्वामी	97/2	1.02			
35	रानी जोजे बद्रीप्रसाद	भू-स्वामी	98/1	0.30	1.97	0.00	
36	रतीराम बल्द पूरन	भू-स्वामी	98/2	0.41			
37	मेहरबान वल्द कडोरी	भू-स्वामी	98/3	0.36			
38	रानी जोजे बद्रीप्रसाद	भू-स्वामी	98/4	0.45			
39	मेहरबान वल्द कडोरी	भू-स्वामी	98/5	0.45			
40	कडोरी वल्द अयोध्या प्रसाद, गायत्री पति कडोरी, मोहनलाल	भू-स्वामी	99	0.20	0.20	0.00	
41	कडोरी वल्द अयोध्या प्रसाद, गायत्री पति कडोरी, मोहनलाल	भू-स्वामी	100	2.51	2.51	0.00	
42	रमेश, मोहन, द्वारका, हल्लकाई, रघु, धर्मन्, पिस, पूरनलाल, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल, धीरज, बद्रीप्रसाद, बालकिशन, पिस, चोखेलाल, ब्रजरानी, वेवा चोखेलाल	भू-स्वामी	103/1	0.58	1.00	0.15	

43	अमोलरानी पति नन्हैभाई	भू-स्वामी	103/2	0.57			
44	रमेश, मोहन, द्वारका, हलकाई, रघु, धर्मन्द्र, पिस. पूरनलाल, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल धीरज, बदीप्रसाद, बालकिशन, पिस. चोखेलाल, ब्रजरानी, वेया चोखेलाल	भू-स्वामी	105/1	0.99	0.99	0.00	
45	संतोष वल्द धीरजसिंह	भू-स्वामी	105/2	0.08	0.08	0.00	
46	संतोष वल्द धीरजसिंह	भू-स्वामी	106	0.79	0.79	0.00	
47	राममिलन पि. नन्हैभाई	भू-स्वामी	107/1	1.20	1.20	0.00	
48	मरत पि. नन्हैभाई	भू-स्वामी	107/2	1.20	1.20	0.00	
49	अमोलरानी पति नन्हैभाई	भू-स्वामी	107/3	0.23	0.23	0.00	
50	नन्हैभाई पिता छुट्टे, अमोलरानी पति नन्हैभाई	भू-स्वामी	108/1	3.72	0.09	3.63	
51	रमेश बल्द पूरन	भू-स्वामी	108/2	3.72	0.13	3.59	
52	रमेश, मोहन, द्वारका, हलकाई, रघु, धर्मन्द्र, पिस. पूरनलाल, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल धीरज, बदीप्रसाद, बालकिशन, पिस. चोखेलाल, ब्रजरानी, वेया चोखेलाल	भू-स्वामी	111	0.11	0.11	0.00	
53	रमेश पि. तेजबल	भू-स्वामी	112/1	0.40	0.40	0.00	
	सीताराम गोर्वधन पि. तेजबल	भू-स्वामी	112/2	0.06	0.06	0.00	
54	सीताराम गोर्वधन पि. तेजबल	भू-स्वामी	113	1.11	1.11	0.00	
55	सीताराम गोर्वधन पि. तेजबल	भू-स्वामी	114	0.80	0.80	0.00	
56	बदीप्रसाद वल्द चोखेलाल	भू-स्वामी	115	1.04	1.04	0.00	
57	गोविन्द वल्द बन्लाल 21/14, चंद्रकॉत पि. माधव प्रसाद पाठक 8/41, राजेश्वरी पति चंद्रकॉत पाठक 12/41	भू-स्वामी	116	4.10	0.78	3.32	
58	रामअवतार पिता गोविन्द	भू-स्वामी	117	0.81	0.81	0.00	
59	शिवरानी पति गोविन्द	भू-स्वामी	118	0.81	0.81	0.00	
60	बन्लाल वल्द गोकल, गनेश, रामप्रसाद, कोमल, जगदीश, लक्ष्मन पिस. पुनउ, भूरीबाई, सावित्री बाई, पुत्री पुनउ, गोमती पति पुनउ कमला भूरी, पुत्री चिठी, भू-स्वामी, प्रभु, कल्लू, उर्फ राजकुमार, वल्द खुमान, भागवती, वेया खुमान भू-स्वामी	भू-स्वामी	119/1	4.85	1.40	3.45	
61	कोमल वल्द पुनउ	भू-स्वामी	119/2	2.42	1.70	0.72	
62	रामप्रसाद वल्द पुनउ	भू-स्वामी	120/1	0.29			
63	कोमल वल्द पुनउ	भू-स्वामी	120/2	1.74			
64	जगदीश वल्द पुनउ	भू-स्वामी	120/3	0.83			
65	लक्ष्मन वल्द पुनउ	भू-स्वामी	120/4	0.82	1.03	4.65	
66	भूरीबाई पुत्री पुनउ	भू-स्वामी	120/5	1.00			
67	सावित्रीबाई पुत्री पुनउ	भू-स्वामी	120/6	1.00			
68	अवनीश कुमार वल्द महेशचन्द्र मिश्रा	भू-स्वामी	122	7.35	0.65	6.70	
69	बदीप्रसाद वल्द चोखेलाल	भू-स्वामी	123/3	2.64	0.85	1.79	
70	संतोष वल्द धीरज सिंह	भू-स्वामी	123/4	1.67	0.50	1.17	
योग				94.80	57.42	37.38	

नहर

1	सूरज पि. इन्दर साग लोधी 1/2, सुनीज कुमार पि. टीकाराम लोधी 1/2	भू-स्वामी	58/1	0.70	0.27	0.43	
2	रामप्रसाद वल्द पुनउ	भू-स्वामी	56/1	0.88			
3	लक्ष्मन वल्द पुनउ	भू-स्वामी	56/2	0.20			
4	जगदीश वल्द पुनउ	भू-स्वामी	56/3	0.88	0.20	2.64	
5	लक्ष्मन वल्द पुनउ	भू-स्वामी	56/4	0.88			
योग				3.54	0.47	3.07	
कुल योग				98.34	57.89	40.45	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17/(7)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियावित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला-सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17/(8)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि पर कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं हाने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-13-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-2022-6342-मौजा सेदवारा पट.ह.न.-40,तह. देवरी

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य, शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर को खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सेदवारा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं हैं। तथा परियोजना के निर्माण से करीब 785 हे0 भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

परियोजना का नाम : खतोला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सेदवारा जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु

- 1) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : देवरी
 3. ग्राम : सेदवारा
 4. पट.ह.न. : 40
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 44.285 हे0

::अनुसूची-1::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे0 में	अर्जित भूमि (रकवा हे. में)	शेष रकवा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	
1	भरोसे वल्द दसू महारानी बेवा दसू गौड़	भूमि स्वामी	4	0.670	0.670	0.000	
2	खेतसींग वल्द सूरतसींग उदयसींग, आँकारसींग, चंदनसींग, डेलनसींग, माधोंसींग, पिस. वलवंतसींग, कृष्णाबाई, गन्तोबाई पुत्री वलवंतसींग, द्रोपदीबाई, बेवा वलवन्त सींग साकिन जैतपुर	भूमि स्वामी	.7/1	1.810	0.470	4.950	
3	पप्पू खान वल्द नजीर खान पता सा.पथरिया जाट हिस्सा रकबा 1.21 हे. राजकुमार पिता रामसेवक सा.खेजरा हिस्सा रकबा 1.20 हे. सुनील वल्द अजुद्धी सा. पिथौरिया तहसील मालथोन हिस्सा रकबा 1.20 हे.	भूमि स्वामी	.7/2	3.610			
4	अजुद्धी वल्द चेतू गौड़	भूमि स्वामी	.8/1	2.800	0.380	5.220	
5	भरोसे वल्द दलू गौड़	भूमि स्वामी	.8/2	2.800			
6	गनेशीबाई पति बाबूलाल	भूमि स्वामी	.12/1	0.550	0.440	4.150	
7	शंकर लाल पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	.12/2	1.010			
8	कड़ोरी पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	.12/3	1.010			
9	जगन्नाथ पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	.12/4	1.010			

10	रामेश्वर पिता बाबूलाल	भूमि स्वामी	.12/5	1.010		
11	शंकर पिता फूलसींग	भूमि स्वामी	14/1	0.670	0.08	0.540
12	हरिसींग पिता फूलसींग	भूमि स्वामी	14/2	0.670		
13	भगवत पिता जगन साठ सेंदवारा	भूमि स्वामी	15	2.760	0.150	2.610
14	धनु पिता. चेतू खुमान, फगू, रूपसींग, धीरज पि. बब्बू कमलारु रेवती, विनीता पि. बब्बू वृजरानी बेबा बब्बू गौड़	भूमि स्वामी	.21/1	1.550	0.130	1.940
15	बब्बू बल्द चंतू गौड़	भूमि स्वामी	.21/2	0.520		
16	प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद	भूमि स्वामी	.22/1	0.280	0.220	4.300
17	प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद	भूमि स्वामी	.22/2	1.040		
18	विद्याबाई पति लक्ष्मीप्रसाद	भूमि स्वामी	.22/3	0.800		
19	बृजेश पिता विष्णुप्रसाद	भूमि स्वामी	.22/4	1.200		
20	लक्ष्मन पिता विष्णुप्रसाद	भूमि स्वामी	.22/5	1.200		
21	रमे 1, नरान, कुसुम, अनिता पिता धम्मू पिता सूरतसींग हिरदे सींग, संतोष, अमरसींग, भागीरथ, नन्हे पिस. खिलान, रामाबाई पत्नी खिलान गौड़ संतोष अमरसींग गौतम नाबा. वल्द व वली सूरतसींग	भूमि स्वामी	29/1	0.460	0.150	0.830
22	नन्हूसींग वल्द गनेशसींग	भूमि स्वामी	29/2	0.400		
23	रमे 1, नरान, कुसुम, अनिता पिता धम्मू पिता सूरतसींग हिरदेसींग, संतोष, अमरसींग, भागीरथ, नन्हे पिस. खिलान, रामाबाई पत्नी खिलान गौड़ संतोष अमरसींग गौतम नाबा. वल्द व वली सूरतसींग	भूमि स्वामी	30	0.490	0.120	0.370
24	यशवंत, गोकलसींग, गुलाबसींग, पिस. मर्दन सिंह गौड़	भूमि स्वामी	32	1.130	0.035	1.095
25	यशवंत, गुलाब, गोकलसींग पिस. मर्दनसींग, पूनाबाई, रामबाई पुत्री मर्दनसींग, मानसींग पिस गोरेलाल, मालतीबाई, क्रांति पुत्री गोरीलाल, तांती वल्द घन्सू, सियारानी बेबा रामा, श्रीबाई पुत्री रामा, केशरबाई बेबा, क्रांतिबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई ना.वा. पुत्री घासीराम वली मां केशरबाई, राजू, भजन, लेखन पिस. रामा गौड़	भूमि स्वामी	35	1.100	0.100	1.000
26	गनेश वल्द सूरतसींग गौड़	भूमि स्वामी	53/1	2.470	3.000	1.470
27	श्री देव जानकरी रमणजी मंदिर, रामसींग उत्तमसींग पिता श्रीसींग	भूमि स्वामी	53/2	2.000		
28	भगवानदास पि. हल्का	भूमि स्वामी	54	2.130	2.130	0.000
29	बैजनाथ पिता जयसींग	भूमि स्वामी	55/1	0.990	0.990	0.000
30	भगवानदास पिता जयसींग	भूमि स्वामी	55/2	0.990	0.990	0.000
31	हीराबाई, ममाबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम	भूमि स्वामी	55/3	0.990	0.990	0.000
32	भरोसे वल्द दसू महारानी बेबा गौड़	भूमि स्वामी	56	1.810	1.810	0.000
33	भरोसे वल्द दसू महारानी बेबा गौड़	भूमि स्वामी	57	0.440	0.440	0.000
34	टीकाराम पिता लक्ष्मण सींग गौड़	भूमि स्वामी	58	1.700	1.700	0.000
35	भरोसे वल्द दसू महारानी बेबा गौड़	भूमि स्वामी	60	0.710	0.710	0.000
36	कुददा वल्द निजान, भगुन्ते वल्द जयसींग,	भूमि स्वामी	62	1.170	1.170	0.000
37	भागीरथ वल्द खिलानसींग गौड़	भूमि स्वामी	66	0.810	0.810	0.000
38	हरीसींग वल्द फूलसींग गौड़	भूमि स्वामी	67	2.430	1.360	1.070
39	फुन्दी, नन्हू, मुलू, प्रीतम, हीराबाई, रामकली, मुलाबाई पिस. अजुद्धी, मदरोबाई बेबा अजुद्धी	भूमि स्वामी	68/1	1.660	3.500	0.380
40	फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़	भूमि स्वामी	68/2	1.020		
41	भागोनी वल्द अजुद्धी	भूमि स्वामी	68/3	0.400		

42	मुलू वल्द अजुद्धी गौड़	भूमि स्वामी	68/4	0.800			
43	रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़	भूमि स्वामी	69	2.630	2.550	0.080	
44	विश्वनाथ सिंह वल्द गनेशसिंह गौड़	भूमि स्वामी	70/1	2.330	2.330	0.000	
45	यशवंतसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़	भूमि स्वामी	70/2	0.740	0.740	0.000	
46	गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़	भूमि स्वामी	70/3	0.800	0.800	0.000	
47	गुलाव सिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़	भूमि स्वामी	70/4	0.800	0.800	0.000	
48	यशवंत पिस. मर्दनसिंह,	भूमि स्वामी	71/1	7.420	7.420	0.000	
49	मोहन हुकम नत्थू, परसराम, दिलीप पिस. कलू भागवती बबीता पुत्री कलू, शिवरानी बेबा कलू	भूमि स्वामी	71/2	2.470	2.470	0.000	
50	तुलसीराम पिता तांती गैड पता सागर 1/9 भाग, कमलशे पिता तांती गैड पता सेंदवारा 1/9, देवराज पिता तांती गैड पता सेंदवारा 1/9, हरीबाई पुत्री तांती गैड पता देवरी 1/9 भाग, प्रभा पुत्री तांती गैड पता देवरी 1/9 भाग, सवित्री पुत्री तांती गैड पता देवरी 1/9 भाग, कुंवरबाई पुत्री तांती गैड पता देवरी 1/9 भाग, सदारानी बेबा तांती गैड पता सेंदवारा 1/9, इंद्राज पिता विश्वनाथ गैड पता सेंदवारा 1/36, राधा पुत्री विश्वनाथ गैड पता देवरी 1/36, आरती पुत्री विश्वनाथ गैड पता देवरी 1/36, यशोदारानी पुत्री विश्वनाथ गैड पता सेंदवारा 1/36.	भूमि स्वामी	71/3	2.480	2.480	0.000	
51	चित्तर सींग पिता देवरी पता देवरी	भूमि स्वामी	72	3.640	2.150	1.490	
कुल रकवा			51	76.38	44.28	32.09	
				0	5	5	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17/(7)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियांवित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिये निर्दिष्ट किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला-सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-17/(8)-2014 सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि पर कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं हाने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), कोठी महल, उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र. 552-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2022-23

उज्जैन, दिनांक 2 सितम्बर 2022

प्रारूप-"घ"
(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डकट (भूमि की उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक 317/श1/2022, उज्जैन दिनांक 09.05.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने अग्रत परियोजना के लिए ग्राम डेंडिया एवं मंडिया तहसील कोठीमहल जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डकट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना का संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में 13.05.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी बिल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची		
जिला उज्जैन	तहसील कोठी महल	ग्राम डेंडिया एवं मंडिया/हल्का पटवारी/हल्का कमांक 03 -उज्जैन
क्रं	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि(हे०)
1	23/1/2	0.171
2	23/3/1	0.283
3	23/3/2	0.269
4	23/2	0.221
5	21/1	0.356
6	16/2/1/1	0.2
7	16/2/1/3	0.04
8	16/2/2/1	0.14
9	98/1/2/1	0.458
10	98/1/2/3	0.025
11	98/1/2/2	0.025
12	97/5/2	0.052
13	97/4/2	0.084
14	97/3/1	0.124
15	97/2	0.03
कुल		2.478

जगदीश मेहरा, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), तहसील मनावर जिला धारा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 2540-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-002-अ-82-2022-23

मनावर, दिनांक 25 अगस्त 2022

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04,	96/2	0.005
			100/5	0.013
			101/5	0.008
			100/1	0.025
			102/1	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04,	113/5	0.026
			102/2	0.010
			99/8	0.003
			101/4	0.010
			99/3	0.025
			109/2	0.049
			109/12/1	0.043
			109/7	0.025
			109/8	0.010
			118/1	0.018
			118/2	0.032
			117/1	0.035
			117/2	0.018
			116/3	0.008
			115/1	0.033
			113/22/2	0.018
			113/29	0.033
			113/21	0.015
			113/9/1	0.018
कुल योग			24	0.499

पत्र क्र. 2540-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-003-अ-82-2022-23

प्ररूप- "ख"**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भूतिया, प.ह.न.-01, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-भूतिया, प.ह.न.-01,	291	0.012
कुल योग			01	0.012

पत्र क्र. 2540-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक-4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	410	0.091
			416	0.056
			417/3	0.065
			417/4	0.060
			385/1	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	385/2	0.128
			418	0.045
			417/2	0.058
			417/5	0.023
			394/3	0.005
			393	0.010
			392/3	0.013
			392/4	0.042
			392/1	0.025
			392/2	0.006
			391/2/2	0.038
			388/1	0.050
			382/2	0.016
			381/1/2	0.043
			130/2/4	0.018
			130/2/3	0.016
			122/2/2	0.075
			122/2/1	0.055
			122/1/1/1/1/1	0.005
			122/1/1/2	0.034
			122/1/1/1/1/2	0.031
			120	0.005
			119	0.008
			117/1	0.073
107	0.010			
117/2	0.005			
106	0.050			
104/3	0.030			
धार	मनावर	ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23,	63/2	0.061
			102/1	0.028
			95	0.026
			94	0.050
			73	0.068
			67	0.080
कुल योग			39	1.515

पत्र क्र. 2540-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03,	231/1	0.065
			231/2	0.035
			157	0.045
			155/2/2	0.004
			155/1/2	0.044

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03,	155/1/1	0.044
			154	0.030
			146/1	0.066
			142/1	0.020
			131/1	0.058
			116	0.018
			115/2	0.025
			131/3	0.076
			113	0.015
			114	0.054
कुल योग			15	0.599

पत्र क्र. 2540-भू-अर्जन-री-1-2022-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01, गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	123/8	0.043
			103/1	0.120
			109/1	0.021
			109/3/1	0.011
			115/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	109/3/2	0.011
			109/2	0.034
			114/1	0.062
			108/2/4/2	0.018
			115/2/2	0.060
			117/2/2	0.040
			100/2	0.009
			98	0.067
			97	0.066
			167/1	0.004
			91	0.025
			165	0.012
			166	0.021
			193	0.015
			192	0.033
			191	0.018
			200/1	0.033
			204/2	0.011
200/2	0.013			
201	0.004			
202/1	0.004			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	मनावर	ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04	202/3	0.004
			199	0.030
			205/2	0.006
			204/1	0.028
			205/1	0.015
			205/7	0.015
			222/1/1/1	0.018
			222/1/2	0.012
			222/2/1/2	0.018
			227/3/2	0.004
			222/2/1/3	0.018
			227/1/3	0.009
			222/2/1/4	0.028
			227/1/4	0.005
			222/2/1/5	0.028
			227/3/1	0.017
227/1/6	0.009			
कुल योग			43	1.022

भूपेन्द्र रावत, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, नर्मदापुरम एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 11954-भू-अर्जन-2022

नर्मदापुरम, दिनांक 8 सितम्बर 2022

अंतर्गत धारा-19, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-(1) में सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक एवं सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची-(2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-(2) की भूमि की अनुसूची-(1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची क्रमांक-1

मौजा ग्राम-बागरा मानागांव,		तहसील-माखननगर नगर,		जिला नर्मदापुरम
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टर में		
	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	कुल रकवा	अर्जित रकवा	
1	सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु	1.677	1.000	

अनुसूची क्रमांक-2

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकवा हेक्टेयर में	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हेक्टेयर में	अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम
1	2	3	4	5	6
1	कृषक वीरेन्द्र शर्मा फौत होने से उनके वारसान 1.सुधा शर्मा पत्नि वीरेन्द्र शर्मा 2.विकास शर्मा पिता वीरेन्द्र शर्मा 3.मीनल पुत्री वीरेन्द्र शर्मा 4.कृति पुत्री वीरेन्द्र शर्मा	355/1, 355/2/ 1, 355/3/ 1	1.677	1.000	निरंक
योग		03	1.677	1.000	निरंक

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भूअर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2022

श्रमोदय विद्यार्थी अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना

अधिसूचना क्रमांक भसकम10185.....मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, श्रमोदय विद्यार्थी अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिसूचित करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना -
 - a. यह योजना "श्रमोदय विद्यार्थी अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना" कहलाएगी।
 - b. यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशाली होगी।
 - c. यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - a. 'अधिनियम' का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 से है।
 - b. 'नियम' का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002
 - c. 'बोर्ड' या 'मंडल' से आशय अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से है।
 - d. 'सचिव' से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मंडल के सचिव से है।
 - e. 'पंजीकृत श्रमिक' से आशय मण्डल में पंजीकृत समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से है।
 - f. 'विद्यार्थी' से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मण्डल के मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत संतान से है।
 - g. 'विद्यालय' से आशय मण्डल के मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालय से है।
 - h. इस योजना नीति में परिभाषित ना किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना नीति में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।
3. उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के मध्यप्रदेश में संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मृत्यु पर पंजीकृत श्रमिक (मृतक के माता/पिता) को अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना प्रदाय करना है।
4. हितलाभ राशि: योजना में हितलाभ राशि निम्नानुसार होगी -
 - a. अन्त्येष्टि राशि - 6000 रुपये
 - b. अनुग्रह राशि - 2,00,000 रुपये

5. **पात्रता की शर्तें:** मृतक का श्रमोदय आवासीय विद्यालय का अध्ययनरत विद्यार्थी होना अनिवार्य है।
6. **पदाविहित अधिकारी:** योजना अंतर्गत पदाविहित अधिकारी संबंधित श्रमोदय आवासीय विद्यालय मुख्यालय के संबंधित सहायक श्रमायुक्त होंगे। श्रमोदय आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी की मृत्यु होने पर संबंधित श्रमोदय आवासीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वतः ही मृतक के माता/पिता से समस्त दस्तावेज एकत्रित किए जाएंगे एवं प्रस्ताव तैयार किया जाकर समस्त दस्तावेज सहित संबंधित सहायक श्रमायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त द्वारा पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जाकर स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा एवं सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
7. **आवश्यक दस्तावेज:** सहायक श्रमायुक्त द्वारा प्रकरण में भुगतान हेतु सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न होने चाहिए -
 - a. श्रमोदय आवासीय विद्यालय के प्राचार्य का प्रस्ताव।
 - b. सहायक श्रमायुक्त का स्वीकृति आदेश जिसमें मृतक का नाम, आयु, कक्षा जिसमें मृतक विद्यार्थी अध्ययनरत था, पंजीकृत श्रमिक का नाम, मृतक का पंजीकृत श्रमिक से संबंध, राशि हेतु पात्रता, अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि तथा पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते एवं आई.एफ.एस. कोड का स्पष्ट उल्लेख हो।
 - c. मृतक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि
 - d. पंजीकृत श्रमिक का मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीयन कार्ड
 - e. पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि
 - f. पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाता (जिसमें हितलाभ राशि का भुगतान किया जाना है) पासबुक की प्रतिलिपि
8. **भुगतान अधिकारी:** योजना अंतर्गत भुगतान अधिकारी सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल होंगे। सहायक श्रमायुक्त से भुगतान हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हितलाभ राशि का भुगतान किया जाएगा।

संजय जैन, सचिव.